

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 571 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1540 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1512.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMESH HARESHAVAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 1

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 227.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 30.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 60.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 30.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 30.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 76.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 476.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 60.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 68.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6656 | 544.00 | 7200.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 572 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1541 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 540.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMESH HARESHAVAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
 भुखंड क्र. : 2
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 81.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) घनादेश न वटल्यास निर्गोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 11.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 22.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 11.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 11.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 27.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 8.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 171.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 22.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2440 | 196.00 | 2636.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 573 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1542 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 486.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMESH HARESHAVAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 3

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 73.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 24.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 153.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2129 | 174.00 | 2303.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील
स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 574 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1543 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 486.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : LAXMAN RAMKRISHNA RAUT

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 4
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 73.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 24.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 153.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2723 | 174.00 | 2897.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 575 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1544 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 486.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAYANT HARESHAVAR OAK
BANSI VAMAN JAGTAP

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 5
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 73.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 24.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 153.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2723 | 174.00 | 2897.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 576 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1545 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 486.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SAKUBAI VAMANDAS JAGTAP

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 6

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 73.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 24.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 153.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2723 | 174.00 | 2897.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 577 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1546 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 486.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAYANT HARESHAVAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 7

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 73.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 24.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 153.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2723 | 174.00 | 2897.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 578 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1547 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 540.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ANANT KASHINATH CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 8

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 81.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 11.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 22.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 11.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 11.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 27.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 8.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 171.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 22.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3047 | 196.00 | 3243.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 579 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1548 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 540.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MADHUKAR TULSIRAM SONWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 9

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 81.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 11.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 22.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 11.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 11.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 27.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 8.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 171.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 22.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3047 | 196.00 | 3243.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 580 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1549 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 486.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PARSHURAM HARESHAVAR OAK
SANGITABAI KAILAS BADGUJAR
CHHAYABAI NARAYAN BADGUJAR

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 10
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 73.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 24.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 153.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2663 | 174.00 | 2837.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 581 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1550 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 486.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : HIRAMAN NARAYAN MAVLE

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 11

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 73.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 24.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 153.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2723 | 174.00 | 2897.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 582 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1551 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 486.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : HIRAMAN NARAYAN MAVLE

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 12

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 73.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 24.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 153.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2723 | 174.00 | 2897.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 583 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1552 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 486.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHIKA RAMDAS MISTRI

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 13

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 73.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 24.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 153.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2723 | 174.00 | 2897.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 584 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1553 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 486.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 14 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : **BHIKA RAMDAS MISTRI**
SUDHIR RUPCHAND PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 14
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 73.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 24.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 153.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2723 | 174.00 | 2897.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 585 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1554 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 486.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHANTABAI MURLIDHAR ATWAL
SUDHIR RUPCHAND PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 15
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 73.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 24.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 153.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2723 | 174.00 | 2897.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 586 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1555 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 486.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RATNABAI SHANTARAM PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 16

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 73.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 24.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 153.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2723 | 174.00 | 2897.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 587 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1556 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 702.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PARSHURAM HARESHAVAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 17

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 105.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 14.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 28.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 14.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 14.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 35.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 11.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 221.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 28.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 32.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3953 | 253.00 | 4206.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 588 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1557 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1463.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 18 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAYANT HARESHAVAR OAK
CHANDRAKANT KASHINATH NANNVRE
SHIVDAS BUDHA PATIL
SHIVDAS BUDHA PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 18
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 219.00 | | 1) करधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 29.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 59.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 29.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 29.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 73.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 22.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 460.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 59.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 66.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8237 | 526.00 | 8763.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 589 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1558 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. DAGUBAI BHANUDAS PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 19

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3287 | 211.00 | 3498.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 590 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1559 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 20 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUDHAKAR HARESHAWAR OAK
NANA DEVCHAND GOTE
BAPU RAMDAS SANVSE

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 20
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3287 | 211.00 | 3498.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 591 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1560 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUDHAKAR HARESHAWAR OAK
PARMILA LAHANU PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 21

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3287 | 211.00 | 3498.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 592 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1561 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 22 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJENDRA FAKIRA SONWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 22

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3287 | 211.00 | 3498.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 593 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1562 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMESH HARESHVAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 23

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3287 | 211.00 | 3498.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 594 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1563 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 24 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : LAXMAN DINKAR BADGUJAR

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 24

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 1481 | 211.00 | 1692.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 595 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1564 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 25 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KISHOR BUDHAJI KHEMWAL
SHKUNTALA MAHESH BHATI

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 25
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 1481 | 211.00 | 1692.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 596 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1565 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 26 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANGITA SURESH PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 26

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3287 | 211.00 | 3498.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 597 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1566 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 27 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIMALBAI SHRAVAN PATIL
ANIL SHRAVAN PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 27
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3287 | 211.00 | 3498.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 598 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1567 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 29 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PARSHURAM HARESHVAR OAK
RAVINDRA BHASKAR JADHAV

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 29
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3287 | 211.00 | 3498.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 599 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1568 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 30 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PARSHURAM HARESHVAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 30

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3287 | 211.00 | 3498.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 600 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1569 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 31 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAYANT HARESHVAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 31

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3287 | 211.00 | 3498.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 601 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1570 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1038.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 32 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAYANT HARESHVAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 32

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 156.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 21.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 42.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 21.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 21.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 52.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 16.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 329.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 42.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 47.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3947 | 376.00 | 4323.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 602 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1571 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1468.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव :
INDRAYANI BRIJLAL KOLI
VASANTIBAI ASHOK KAPSE
DILIP GOVINDA JOSHI

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 33
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 220.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 29.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 59.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 29.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 29.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 73.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 22.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 461.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 59.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 66.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9152 | 527.00 | 9679.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 603 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1572 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1418.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 34 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : **BALASAHEB SHAMRAO P.
SUHAS LAXMAN CHAUDHARI
ARJUN PRABHAKAR GAVANDE**

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 34
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 213.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 28.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 57.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 28.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 28.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 71.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 446.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 57.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 64.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8166 | 510.00 | 8676.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 604 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1573 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1418.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 35 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUDHAKAR HARESHVAR OAK
SUSHILABAI VASANT PAWAR
VASUDEV SHALIGRAM PA.

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 35
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 213.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 28.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 57.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 28.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 28.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 71.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 21.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 446.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 57.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 64.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8166 | 510.00 | 8676.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 605 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1574 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1418.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 36 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHAMKANT GOVIND SONAR
JAGNNATH PARSHURAM SHINDE

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 36

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 213.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 28.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 57.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 28.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 28.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 71.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 446.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 57.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 64.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8166 | 510.00 | 8676.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 606 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1575 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1418.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 37 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : REKHA ISHVAR SAPKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 37

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 213.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 28.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 57.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 28.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 28.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 71.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 21.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 446.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 57.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 64.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8166 | 510.00 | 8676.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 607 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1576 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1806.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 38 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMESH HARESHVAR OAK
GULABRAO MAHALU SONWANE
KUSUM MADHUKA BADGUJAR

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 38
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 271.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 36.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 72.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 36.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 36.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 90.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 27.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 568.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 72.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 81.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10174 | 649.00 | 10823.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 608 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1577 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1433.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 39 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KAMALABAI HARESHWAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 39

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 215.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 29.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 57.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 29.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 29.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 72.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 21.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 452.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 57.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 64.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8064 | 516.00 | 8580.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 609 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1578 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 614.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 40 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGNNATHA BHILA MAHALE

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 40

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 92.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 25.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 31.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 193.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 25.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 28.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3462 | 221.00 | 3683.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 610 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1579 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 614.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 41 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RANGARAO YASHWANTRAO GAYKWAD

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 41

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 92.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 25.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 31.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 193.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 25.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 28.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3462 | 221.00 | 3683.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 611 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1580 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 614.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 42 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAMILABAI PRABHAKAR SHIMPI

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 42

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 92.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 25.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 31.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 193.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 25.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 28.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3010 | 221.00 | 3231.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 612 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1581 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 614.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 43 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHAKUNTALA BAPURAO SHIMPI

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 43

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 92.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 25.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 31.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 193.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 25.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 28.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3462 | 221.00 | 3683.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 613 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1582 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 614.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 44 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KAILAS FAKIRA RAJPUT
KIRAN KAILAS RAJPUT CHE A. PA. K.

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 44
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 92.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 25.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 31.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 193.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 25.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 28.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3462 | 221.00 | 3683.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 614 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1583 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 614.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 45 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ASHOK DAMU PATIL
(JAGANNATH HIRAMAN PATIL)

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 45
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 92.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 25.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 31.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 193.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 25.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 28.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 663 | 221.00 | 884.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 615 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1584 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 614.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 46 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAYANT HARESHVAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 46

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 92.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 25.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 31.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 193.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 25.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 28.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3462 | 221.00 | 3683.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 616 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1585 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 614.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 47 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAYANT HARESHVAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 47

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 92.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 25.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 31.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 193.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 25.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 28.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3462 | 221.00 | 3683.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 617 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1586 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1155.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 48 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PARSHURAM HARESHVAR OAK
KAMALBAI MADHUKAR DIVTE
LAXMIBAI NATTHU ATOLE

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 48
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 173.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 23.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 46.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 23.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 23.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 58.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 17.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 363.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 46.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6489 | 415.00 | 6904.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 618 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1587 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1823.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 49 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHURYAKANT KHANDU PATIL
VIMAL SURYABHAN PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 49

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 273.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 36.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 73.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 36.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 36.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 91.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 27.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 572.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 73.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 82.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10250 | 654.00 | 10904.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 619 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1588 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 576.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 50 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAYANT HARESHVAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 50

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 86.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 183.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3248 | 209.00 | 3457.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 620 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1589 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 561.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 51 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIMALBAI PITAMBAR KUMBHAR

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 51

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 84.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 11.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 22.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 11.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 11.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 28.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 8.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 175.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 22.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3140 | 200.00 | 3340.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 621 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1590 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 548.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 52 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VAMAN DAULAT PANDIT
RAMCHANDRA DAULAT PANDIT

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 52
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 82.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 11.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 22.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 11.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 11.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 27.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 8.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 172.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 22.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3080 | 197.00 | 3277.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 622 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1591 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 531.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 53 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ANAND NATTHU KOLI
HEMCHAND NATTHU KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 53
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 80.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 11.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 21.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 11.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 11.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 27.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 8.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 169.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 21.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 24.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2997 | 193.00 | 3190.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 623 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1592 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 515.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 54 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAMILA SANTOSH TAYDE
NIRMALABAI BHANUDAS PAWAR

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 54
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 77.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 21.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 26.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 8.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 162.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 21.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 24.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2908 | 186.00 | 3094.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 624 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1593 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 502.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 55 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : USHA DEVCHAND MARATHE
SANTOSH RAMESH SHINDE

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 55
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 75.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 20.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 25.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 158.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 20.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 23.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2822 | 181.00 | 3003.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 625 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1594 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 489.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 56 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PARSHURAM HARESHVAR OAK
SHASHIKALABAI RAGHUNTH MAHALE

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 56
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 73.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 20.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 24.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 154.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 20.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 22.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2760 | 176.00 | 2936.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 626 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1595 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1593.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 57 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PARSHURAM HARESHVAR OAK
SUSHILABAI RAGHUNTH GHORPDE
VILAS APPARAO ATALE

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 57
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 239.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 32.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 64.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 32.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 32.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निर्गोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 80.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 24.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 503.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 64.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 72.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8974 | 575.00 | 9549.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 627 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1596 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1922.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 58 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMESH HARESHVAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 58

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 288.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 38.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 38.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 38.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 96.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 604.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10806 | 691.00 | 11497.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 628 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1597 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 489.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 59 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAYESH SITARAM APOTE

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 59

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 73.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 20.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 24.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 154.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 20.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 22.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2760 | 176.00 | 2936.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 629 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1598 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 502.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 60 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : GOPAL YSHAVANT APOTE

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 60

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 75.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 20.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 25.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 8.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 158.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 20.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 23.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2822 | 181.00 | 3003.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 630 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1599 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 515.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 61 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : NAMDV PANDURANG KOLI
BHANUDAS HIRAMAN SONAR

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 61
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 77.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 21.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 26.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 162.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 21.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 24.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2908 | 186.00 | 3094.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 631 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1600 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 531.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 62 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAYANT HARESHVAR OAK
SAU. PARVATABAI BABULAL CHAVAN

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 62
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 80.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 11.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 21.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 11.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 11.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 27.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 8.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 169.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 21.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 24.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2997 | 193.00 | 3190.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 632 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1601 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 548.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 63 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. PARVATABAI BABULAL CHAVAN

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 63

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 82.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 11.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 22.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 11.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 11.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 27.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 172.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 22.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 1918 | 197.00 | 2115.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 633 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1602 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 561.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 64 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KAVERI ONKAR KULKARNI

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 64

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 84.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 11.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 22.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 11.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 11.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 28.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 8.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 175.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 22.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3140 | 200.00 | 3340.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 634 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1603 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 65 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ONKAR DAMODAR KULKARNI

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 65

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5033 | 211.00 | 5244.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 635 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1604 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1823.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 66 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PARSHURAM HARESHVAR OAK
DILIP KADU MAHAJAN
RAMESHVAR KADU MAHAJAN
KOKILABAI PANDIT KOLI
PANDIT L. KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 66

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 273.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 36.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 73.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 36.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 36.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 91.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 27.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 572.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 73.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 82.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10247 | 654.00 | 10901.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 636 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1605 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 965.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 67 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUMANBAI RAMDAS CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 67

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 145.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 19.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 39.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 19.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 19.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 48.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 14.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 303.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 39.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 44.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5429 | 347.00 | 5776.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 637 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1606 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 68 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRAKANT GIRDHRA MARATHE
KALPNA CHANDRAKANT MARATHE

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 68

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3286 | 211.00 | 3497.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 638 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1607 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 69 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUREKHA SUDHAKAR OAK
RAJENDRA SUDHAKAR OAK
NITIN SUDHAKAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 69
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3286 | 211.00 | 3497.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 639 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1608 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 70 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHAKUNTALA RAMESH CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 70

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3286 | 211.00 | 3497.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 640 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1609 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 71 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KAMALABAI PRALHAD KALKAR
SWATA & VIJAY & MAHESH ASHOK KALKAR
YANCHE A. PA. K.

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 71
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3286 | 211.00 | 3497.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 641 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1610 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 72 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUNITABAI RAGHUNATH PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 72

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3286 | 211.00 | 3497.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 642 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1611 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 73 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAYANT HARESHVAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 73

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3286 | 211.00 | 3497.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 643 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1612 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 74 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KAMALABAI RAMSHANKAR DUBE

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 74

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3286 | 211.00 | 3497.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 644 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1613 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 75 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : DHONDU SHIVRAM KHANGAR

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 75

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3286 | 211.00 | 3497.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 645 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1614 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 76 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SITARAM SHIVRAM KHANGER

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 76

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3286 | 211.00 | 3497.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 646 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1615 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 77 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASUDEV SHIVRAM PATIL
DIPAK SHIVRAM PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 77
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3286 | 211.00 | 3497.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 647 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1616 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 78 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAYRAM MAHARU KOLI
PRAKASH KISAN SONWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 78
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3286 | 211.00 | 3497.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 648 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1617 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 585.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 79 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PARSHURAM BIRLA GAVLI
RAJU BIRALA GAVLI

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 79
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 88.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3286 | 211.00 | 3497.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 649 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1618 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1682.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 80 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PARSHURAM HARESHVAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 80

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 252.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 34.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 34.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 34.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 530.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9457 | 605.00 | 10062.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 650 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1619 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1980.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 81 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAYANT HARESHVAR OAK
SAU. SHASHIKALA ARJUN INGLE

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 81
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 297.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 40.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 79.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 40.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 40.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 99.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 625.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 79.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 89.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11144 | 714.00 | 11858.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 651 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1620 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1440.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 82 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAYANT HARESHVAR OAK
LATABAI SAINATH PARDESI

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 82
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 216.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 29.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 58.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 29.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 29.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 72.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 22.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 455.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 58.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 65.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8118 | 520.00 | 8638.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 652 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1621 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1800.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 83 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMESH HARESHVAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 83

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 270.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 36.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 72.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 36.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 36.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 90.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 27.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 567.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 72.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 81.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10126 | 648.00 | 10774.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 653 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1622 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2012.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 84 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PARSHURAM HARESHVAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 84

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 302.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 40.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 80.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 40.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 40.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 101.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 633.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 80.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 90.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11277 | 723.00 | 12000.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 654 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1623 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1386.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 85 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PARSHURAM HARESHVAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 85

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 208.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 28.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 55.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 28.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 28.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 69.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 21.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 437.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 55.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 62.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4024 | 499.00 | 4523.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 655 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1624 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1436.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 86 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PARSHURAM HARESHVAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 86

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 215.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 29.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 57.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 29.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 29.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 72.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 22.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 453.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 57.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 64.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4155 | 517.00 | 4672.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 656 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1625 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1394.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 87 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUREKHA SUDHAKAR OAK
RAJENDRA SUDHAKAR OAK
NITIN SUDHAKAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 87

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 209.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 28.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 56.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 28.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 28.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 70.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 21.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 440.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 56.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 63.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7848 | 503.00 | 8351.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 657 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1626 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1350.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 88 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMESH HARESHVAR OAK

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 88

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 203.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 54.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 68.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 426.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 54.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 61.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7601 | 487.00 | 8088.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 658 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1627 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1350.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 89 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJENDRA DEVRAM KOLI
BHARAT RAMCHANDRA SONWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 89

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 203.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 54.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 68.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 426.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 54.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 61.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7601 | 487.00 | 8088.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 659 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1628 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1350.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 90 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : DURGABAI NARAYAN SAINDANE
RANJANABAI DEVIDAS INGLE

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B
भुखंड क्र. : 90
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 203.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 54.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 68.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 426.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 54.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 61.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7601 | 487.00 | 8088.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 660 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1629 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1856.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 8A+8B |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 91 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SOMNATH RAMCHANDRA KAVADKAR
USHA SOMNATH KAVADKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 8A+8B

भुखंड क्र. : 91

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 278.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 37.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 74.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 37.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 37.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 93.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 584.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 74.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 83.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10436 | 667.00 | 11103.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 661 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1645 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1224.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SARSWATIBAI TOTARAM MAHAJAN
TULJABAI TOTARAM MAHAJAN
NARAYAN DEVCHAND SONWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 1A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 384.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6875 | 439.00 | 7314.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 662 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1646 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1233.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KADU ARUN NHAVI
BHASKAR NATTHU WAGH

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 1B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 185.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 62.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 389.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5428 | 444.00 | 5872.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 663 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1647 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1251.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. INDUBAI RAMDAS CHAUDHARI
ANJANABI BALIRAM SALI
DEVCHAND SHRAWAN KUMBHAR
BABULAL DEVCHAND KUMBHAR
GOVIND DEVCHAND KUMBHAR
GOKUL DEVCHAND KUMBHAR
DURLABH DEVCHAND DUSANE

सि.स.नं. / गट नं. : 9

भुखंड क्र. : 2A

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 188.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 50.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 63.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 395.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 50.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 56.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7038 | 451.00 | 7489.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 664 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1648 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1349.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAY. YAMUNABAI BALKRUSHNA BAVISKAR
ADHAR CHITAMAN PATIL
SAU. KAMAL VASANT MAHALE

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 2B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 202.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 54.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 67.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 424.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 54.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 61.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7663 | 485.00 | 8148.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 665 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1649 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1128.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMESH RAMCHANDRA DOKE
SHANKAR MOHANLAL

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 3A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 169.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 23.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 45.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 23.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 23.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 56.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 17.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 356.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 45.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 51.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6353 | 407.00 | 6760.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 666 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1650 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 954.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHGWAN NAMDEV SHINDE
JANARDAN RAJAN SHINDE

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 3B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 143.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 19.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 38.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 19.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 19.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 48.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 14.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 300.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 38.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 43.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5363 | 343.00 | 5706.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 667 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1651 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1058.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RUKHMINIBAI DHANSING CHAUDHARI
PRABHAKAR B. JOSHI
MADHUSUDAN EKNATH SAPKALE
SASHIKALA SUDHAKAR SURYAVANSHI

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 4A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 159.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 21.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 42.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 21.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 21.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 53.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 16.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 333.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 42.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 47.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5949 | 380.00 | 6329.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 668 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1652 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1296.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SACHIN SURESH TARAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 4B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 194.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 26.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 52.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 26.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 26.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 65.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 408.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 52.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 58.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7285 | 466.00 | 7751.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 669 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1653 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1296.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RATNAPRABHA BHASKARRAO PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 9

भुखंड क्र. : 5A

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 194.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 26.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 52.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 26.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 26.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 65.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 408.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 52.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 58.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7285 | 466.00 | 7751.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 670 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1654 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1296.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : HARI VINAYAK KULKARNI
SITABAI RAMCHANDRA KULKARNI
PRAKASH RAMCHANDRA KULKARNI
VIKAS RAMCHANDRA KULKARNI
SAU. PRAVARA PRABHAKAR NAIK

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 5B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 194.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 26.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 52.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 26.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 26.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 65.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निर्गोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 408.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 52.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 58.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7285 | 466.00 | 7751.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 671 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1655 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1347.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SULABAI CHANDEV PATIL
AJAY ANANT KULKARNI
NIRMAL DILIP CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 6A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 202.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 54.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 67.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 424.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 54.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 61.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6339 | 485.00 | 6824.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 672 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1656 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1347.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KALPNA NANDKISHOR BHAVSAR

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 6B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 202.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 54.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 67.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 424.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 54.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 61.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7574 | 485.00 | 8059.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासाला साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 673 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1657 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1860.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PUSHPALATA SUKALAL KOLI
PANDURANG KISAN BAVISKAR
PANDHARI BHAGWAN SALUNKE
USHABAI RAMESH BAVISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 7
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 279.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 37.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 74.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 37.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 37.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 93.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 585.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 74.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 83.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10457 | 668.00 | 11125.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील



स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.

| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 674 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1658 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1860.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VINAYAK NARAYAN WANI

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 8
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 279.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 37.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 74.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 37.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 37.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 93.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 585.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 74.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 83.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10457 | 668.00 | 11125.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 675 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1659 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1519.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHAMRAO BHADU PATIL
IMRAN AHMED ALISA
LILADHARA RAMDAS WARULKAR
KESHARBAI RAMDAS WARULKAR
NAMDEV RAMKRUSHNA MORE
SHOBHA MANAK MARATHE
GUNA KHANDU CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 9

भुखंड क्र. : 9

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 228.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 30.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 61.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 30.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 30.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 76.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 478.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 61.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 69.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8552 | 547.00 | 9099.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 676 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1660 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1519.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. KAMAL BHANUDAS SHIMPI
MEHATABAI MARD PATHAN
SHKUNTALA RAGHUNATH JAIN
NANDKISHOR RAGUNATH JAIN

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 10
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 228.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 30.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 61.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 30.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 30.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 76.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 478.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 61.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 69.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8552 | 547.00 | 9099.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 677 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1661 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1337.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. KUSUMBAI MADHUKAR BADGUJAR
SAU. SUMANBAI SUDAM WANI
PRAMOD SUDAM WANI
KADUBA SAKHARAM BADGUJAR
SH. MEMAMOOD SH. HASAN

सि.स.नं. / गट नं. : 9

भुखंड क्र. : 11

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 201.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 53.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 67.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 422.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 53.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 60.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7516 | 482.00 | 7998.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 678 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1662 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1272.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHAMKANT GOVIND SONAR
PARVATABAI NAMDEV KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 11B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 191.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 51.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 64.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 400.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 51.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 57.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7155 | 457.00 | 7612.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 679 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1663 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 928.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. NALINI PRAKASH KAMBALE

सि.स.नं. / गट नं. : 9
 भुखंड क्र. : 12A
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 139.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 19.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 37.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 19.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 19.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 46.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 14.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 293.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 37.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 42.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5223 | 335.00 | 5558.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 680 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1664 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 969.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ISHWARLAL FAKIRA RAJPUT
 ABDUL NURKHA PATHAN
 SALIBAI MARD RASHID KHAN PATHAN
 MOH.YUNUS A.KADIR
 MOTILAL FAKIRA RAJPUT
 JIJABAI OR CHINDHABAI RAMSINGH RAJPUT

सि.स.नं. / गट नं. : 9
 भुखंड क्र. : 12B
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 145.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 19.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 39.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 19.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 19.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 48.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 15.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 304.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 39.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 44.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5063 | 348.00 | 5411.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 681 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1224.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SARASWATIBAI TOTARAM MAHAJAN
TULJIBAI TOTARAM MAHAJAN
NARAYAN DEVCHAND SONAVANE

सि.स.नं. / गट नं. : 9

भुखंड क्र. : 1A

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 384.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6881 | 439.00 | 7320.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 682 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1233.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KADU ARUN NHAVI
BHASKAR NATTHU WAGH

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 1B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 185.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 62.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 389.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6935 | 444.00 | 7379.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 683 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 10 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1349.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : YAMUNABAI BALKRISHNA BAVISKAR
AADHAR CHINTAMAN PATIL
SAU. KAMAL VASANT MAHALE
(KALPANA KAILAS JADHAV)

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 2B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 202.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 54.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 67.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 424.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 54.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 61.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 16974 | 485.00 | 17459.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 684 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 11 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1128.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMESH RAMCHANDRA DOKE
SHANKAR MOHANLAL

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 3A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 169.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 23.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 45.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 23.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 23.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 56.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 17.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 356.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 45.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 51.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6350 | 407.00 | 6757.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 685 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 12 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 954.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHAGAWAN NAMDEV SHINDE
JANARDAN RAJARAM SHINDE

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 3B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 143.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 19.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 38.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 19.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 19.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 48.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 14.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 300.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 38.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 43.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5362 | 343.00 | 5705.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 686 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 13 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1058.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RUKHAMINIBAI DHANASING CHAUDHARI
PRABHAKAR B. JOSHI
MADHUSUDAN EKNATH SAPKALE
SHASHIKALABAI SUDHAKAR SURVANSI

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 4A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 159.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 21.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 42.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 21.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 21.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 53.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 16.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 333.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 42.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 47.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5945 | 380.00 | 6325.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 687 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 14 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1296.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SACHIN SURESH TARKE

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 4B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 194.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 26.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 52.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 26.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 26.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 65.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 408.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 52.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 58.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7285 | 466.00 | 7751.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील
स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 688 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 15 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1296.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RATNAPRABHA BHASKAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 5A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 194.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 26.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 52.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 26.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 26.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 65.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 408.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 52.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 58.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7285 | 466.00 | 7751.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 689 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 16 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1296.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : HARI VINAYAK KULKARNI
SEETABAI RAMCHANDRA KULKARNI
PRAKASH VIKAS KULKARNI
PRAVARA PRABHAKAR NAIK

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 5B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 194.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 26.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 52.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 26.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 26.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 65.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 408.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 52.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 58.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7285 | 466.00 | 7751.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 690 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 17 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1347.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SULABHABAI CHANGDEV PATIL
AJAY ANANTA KULKARNI
NIRMALA DILIP CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 6A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 202.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 54.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 67.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 424.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 54.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 61.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7573 | 485.00 | 8058.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 691 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 18 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1347.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KALPANA NANDKISHOR BHAVSAR

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 6B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 202.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 54.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 67.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 424.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 54.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 61.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7573 | 485.00 | 8058.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 692 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 19 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1860.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PUSHPLATA SUKLAL KOLI
PANDURANG KISHAN BAVISKAR
PANDHRI BHAGAWAN SALUKHE
USHABAI RAMESH BAVISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 7
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 279.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 37.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 74.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 37.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 37.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 93.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 585.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 74.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 83.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10458 | 668.00 | 11126.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 693 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 20 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1860.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VINAYAK NARAYAN WANI

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 8
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 279.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 37.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 74.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 37.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 37.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 93.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 585.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 74.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 83.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10458 | 668.00 | 11126.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 694 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 21 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1519.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHAMRAO BHATU PATIL
IMRAN AHEMAD ALISA
LILADHAR RAMDAS WARULKAR
KESHARBAI RAMDAS WARULKAR
NAMDEV RAMKRISHNA MORE
SHOBHA MANAK MARATHE
GANA KHANDU CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 9

भुखंड क्र. : 9

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 228.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 30.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 61.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 30.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 30.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 76.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 478.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 61.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 69.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8552 | 547.00 | 9099.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 695 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 22 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1519.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. KAMAL BHANUDAS SHIMPI
METATABI MARD PATHAN
SHAKUNTALA RAGHUNATH JAIN
NANDKISHOR R.JAIN

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 10
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 228.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 30.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 61.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 30.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 30.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 76.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 478.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 61.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 69.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8552 | 547.00 | 9099.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 696 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 23 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1336.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KUSUMBAI MADHUKAR BADGUJAR
SAU. SUMANBAI SUDAM WANI
PRAMOD SUDAM WANI
KADUBA SAKHARAM BADGUJAR
SHEKH MEHEMUD SHEKH HASAN

सि.स.नं. / गट नं. : 9

भुखंड क्र. : 11

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 200.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 53.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 67.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 421.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 53.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 60.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7507 | 481.00 | 7988.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 697 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 24 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1272.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHAMKANT GOVINDA SONAR
PARVATABAI NAMDEV KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 11B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 191.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 51.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 64.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 400.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 51.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 57.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8152 | 457.00 | 8609.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 698 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 25 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 928.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 9 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. NALINI PRAKASH KAMBLE

सि.स.नं. / गट नं. : 9
भुखंड क्र. : 12A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 139.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 19.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 37.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 19.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 19.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 46.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 14.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 293.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 37.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 42.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5222 | 335.00 | 5557.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 699 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 993 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2591.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 10/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAYABAI SUKHAVDEV CHAUDHARI
VIMALBAI JAYRAM BARI
DEVVRAM GANPAT SURALKAR
NARMADA DEVVRAM SURALKAR
NARAYAN SUKAL AAGLE

सि.स.नं. / गट नं. : 10/1+2

भुखंड क्र. : 1

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 389.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 52.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 104.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 52.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 52.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 130.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 39.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 818.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 13.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 104.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 117.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14556 | 935.00 | 15491.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 700 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 994 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2552.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 10/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SATISH GULAB PAWAR
SAU. MIRABAI NARAYAN SHIMPI
SHANTABAI SITARAM DESHMUKH
SAU. MIRABAI RAMDHAN SHINDE
GOVIND LAXMAN PARKALE
VASANT DAGDU PAWAR
BHAGVAN GULAB SHIMPI

सि.स.नं. / गट नं. : 10/1+2

भुखंड क्र. : 2

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 383.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 51.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 102.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 51.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 51.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 128.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 38.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 804.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 13.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 102.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 115.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14353 | 919.00 | 15272.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 701 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 995 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3187.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 10/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. PADMABAI BHAGVAT SONWANE
PUSHPA DILIP AHIRRAO

सि.स.नं. / गट नं. : 10/1+2

भुखंड क्र. : 3

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 478.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 64.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 127.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 64.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 64.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 159.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 48.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1004.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 159.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 175.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 16908 | 1179.00 | 18087.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 702 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 996 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3263.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 10/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SINDHUBAI JAYRAM MAHAJAN
 SADASHIB BHIKAJI SHILAVAR
 SAU. VIJAYA KASHINATH MAHAJAN
 SAU. VIJAYA KASHINATH MAHAJAN
 AMBADAS BABURAO SAINDANE

सि.स.नं. / गट नं. : 10/1+2

भुखंड क्र. : 4

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 489.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 65.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 131.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 65.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 65.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 163.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 49.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1027.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 163.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 179.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18416 | 1206.00 | 19622.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 703 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 997 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2513.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 10/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SARSWATIBAI AMBADAS GURAV
SURESH VISHVANATH AMODKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 10/1+2

भुखंड क्र. : 5

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 377.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 50.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 101.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 50.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 50.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 126.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 38.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 792.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 13.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 101.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 114.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14148 | 906.00 | 15054.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 704 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 998 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2816.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 10/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KHEMRAJ HARI KHADKE
DAMYANTIBAI DAGDU MAHAJAN
SARJUBAI BANSILAL PARIHAR
KESHARBAI SUKAM AAVLE
GOMA KHANDU CHAUDHARI
DIVIDAS EKANTH SAPKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 10/1+2

भुखंड क्र. : 6

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 422.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 56.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 56.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 56.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 141.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 42.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 886.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14804 | 1013.00 | 15817.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 705 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 999 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3431.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 10/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : DIVIDAS EKANTH SAPKALE
SULOCHANA NARAYAN MALI
SITARAM DIVIDAS BHARHATHE
KADU NAMDEV SONAR
SHASHIKANT EKNATH SAPKALE
SHAMKANT EKNATH SAPKALE
SHAMKANT EKNATH SAPKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 10/1+2

भुखंड क्र. : 7

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 515.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 137.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 172.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 51.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1082.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 172.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 189.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19737 | 1271.00 | 21008.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 706 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2062 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1593.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 10/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PUSHPA DILIP AAHIRRAO

सि.स.नं. / गट नं. : 10/1+2

भुखंड क्र. : 3

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 239.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 32.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 64.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 32.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 32.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 80.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 24.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 503.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 64.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 72.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7721 | 575.00 | 8296.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 707 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 39 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2042.80 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 58 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SINDHUBAI KISHOR BHIRUD
SAU. SARLA ANIL KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 58
भुखंड क्र. : 13
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 306.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 41.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 82.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 41.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 41.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 102.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 31.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 644.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 82.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 92.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11315 | 736.00 | 12051.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 708 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 40 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2116.80 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHANTARAM BALIRAM KOLI
MADHUKAR SHIVRAM TAYDE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 1

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 318.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 42.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 85.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 42.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 42.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 106.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 32.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 667.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 11.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 85.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 96.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11372 | 763.00 | 12135.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 709 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 41 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2066.40 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MINAKSHI JAGNNATH KHADKE
SAU. YOSHODABAI BALIRAM SAPKALE
VATSLABAI HILAL BAVISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 2

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 310.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 41.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 83.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 41.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 41.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 103.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 31.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 650.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 83.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 93.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11094 | 743.00 | 11837.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 710 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 42 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2066.40 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : LAKSHMAN RAMSHRISHNA SONWANE
BHAGVAN TRAMBAK SONWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 3

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 310.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 41.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 83.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 41.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 41.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 103.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 31.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 650.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 83.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 93.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11094 | 743.00 | 11837.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 711 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 43 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2066.40 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MINAKSHI JAGNNATH KHADSE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 4

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 310.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 41.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 83.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 41.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 41.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 103.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 31.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 650.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 83.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 93.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5754 | 743.00 | 6497.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 712 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 44 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2066.40 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ASHOK RAMRAO MORE
PRADASH DEVRAM SONWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 5

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 310.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 41.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 83.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 41.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 41.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 103.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 31.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 650.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 83.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 93.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11094 | 743.00 | 11837.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 713 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 45 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2066.40 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH RAJARAM KOLI
SAU. SULOCHANA RAMDAS SONAR
SHOBHABAI BAP RAMDAS SONAR

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 6

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 310.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 41.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 83.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 41.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 41.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 103.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 31.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 650.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 83.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 93.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4125 | 743.00 | 4868.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 714 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 46 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2066.40 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KADU BALIRAM SAPKALE
ARUN BUTHA SONWNE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 7

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 310.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 41.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 83.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 41.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 41.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 103.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 31.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 650.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 83.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 93.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8292 | 743.00 | 9035.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 715 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 47 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2822.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MINAKSHI JAGNNATH KHADSE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 8

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 423.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 56.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 56.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 56.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 141.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 42.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 887.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15150 | 1014.00 | 16164.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील
स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 716 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 48 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1936.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJASHRI MANOHARRAO MARDHAD

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 9

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 290.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 610.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10397 | 697.00 | 11094.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 717 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 49 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1936.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : DIVIDAS TOTARAM MAHAJAN
KAILAS TOTARAM MAHAJAN
SAU. SHANTABAI LAKSHMAN SALI
LAKSHMUN BABURAO SALI

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 10

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 290.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 610.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10397 | 697.00 | 11094.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 718 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 50 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANKARNABAI PANDIT MORE
PANDIT NANU MORE
MOHAN SUKHALAL WANI

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 11

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10402 | 698.00 | 11100.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 719 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 51 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : DHANSINGH TRAMBAK SONWANE
VISHNU CHAVDAS INGLE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 12

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10402 | 698.00 | 11100.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 720 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 52 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ATUL BHASKAR SURYAVANSHI
CHANDRAKANT BHASKAR SURYAVANSHI

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 13

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9787 | 698.00 | 10485.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 721 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 53 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 14 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGNNATH GANBHIR SONWANE
(AASHA HIRAMAN RATTEKAR)

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 14

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10402 | 698.00 | 11100.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 722 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 54 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ANITABAI JAYANT CHANGRE
SAU. REKHA VIJAY MEHTA
DIGAMBAR DSHRATH SONWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 15

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7940 | 698.00 | 8638.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 723 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 55 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : NARAYAN RAMKRISHNA SONWANE
GANGUBAI MANGA KUMBHAR

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 16

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9787 | 698.00 | 10485.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 724 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 56 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHAGWAN SURAJ SONWANE
RAJNIBAI BHIMRAO SAPKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 17

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9633 | 698.00 | 10331.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 725 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 57 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 18 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHARAT RAJDHAR KOLI
NARMADANAI SITARAM KOLI
GOKUL ABHIMAN KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 18

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10402 | 698.00 | 11100.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 726 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 58 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VISHWNATH PUNDLIK SURYAVANSHI
VASUKEV PUNDLIK SONWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 19

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9940 | 698.00 | 10638.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 727 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 59 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 20 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ASHOK SITARAM INGLE
 PRAKASH SITARAM INGLE
 VIJAY SITARAM INGLE
 RAMESH SITARAM INGLE
 SANJAY SITARAM INGLE
 DINKAR SITARAM INGLE
 ASHABAI SITARAM INGLE
 SUBHADRABAI SITARAM INGLE
 सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522
 भुखंड क्र. : 20
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10402 | 698.00 | 11100.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 728 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 60 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1973.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUBHASH YASHAVANT SONWANE
DINKAR KACHHV PATIL
BHAGVAT WAMAN KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 21

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 296.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 79.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 99.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 621.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 79.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 89.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10600 | 710.00 | 11310.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 729 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 61 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1890.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 22 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRIMILA SUREASH CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 22

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 284.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 38.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 76.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 38.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 38.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 95.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 597.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 76.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 85.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5204 | 682.00 | 5886.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 730 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 62 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1890.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANJAY BABURAO MALI

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 23

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 284.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 38.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 76.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 38.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 38.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 95.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 597.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 76.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 85.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10169 | 682.00 | 10851.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 731 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 63 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1890.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 24 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANJAY TUKARAM VASALE
RAMCHANDRA BABURAO MALI

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 24

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 284.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 38.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 76.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 38.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 38.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 95.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 597.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 76.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 85.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10169 | 682.00 | 10851.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 732 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 64 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1890.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 25 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : LAKSHMAN GANPAT SALUNKE
PRABHAKAR RAMDAS TAYDE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 25

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 284.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 38.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 76.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 38.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 38.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 95.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 597.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 76.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 85.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10169 | 682.00 | 10851.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 733 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 65 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1890.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 26 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. MANDABAI PRAKASH SAPKALE
PRAKASH RAMDAS SAPKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522
भुखंड क्र. : 26
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 284.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 38.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 76.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 38.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 38.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 95.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 597.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 76.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 85.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10169 | 682.00 | 10851.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 734 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 66 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1890.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 27 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : NARAYAN SHANKAR WANI

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 27

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 284.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 38.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 76.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 38.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 38.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 95.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 597.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 76.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 85.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5054 | 682.00 | 5736.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 735 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 67 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2032.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 28 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANJAY BHAGVAT KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 28

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 305.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 41.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 81.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 41.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 41.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 102.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 641.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 81.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 91.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10910 | 732.00 | 11642.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 736 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 117 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2835.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 39 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : BALIRAM CHAVDAS KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 39

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 425.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 894.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15226 | 1021.00 | 16247.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 737 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 118 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2835.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 40 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIKAS PAULAD KOLI
SHANTARAM NARAYAN TAYDE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 40

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 425.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 894.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15226 | 1021.00 | 16247.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील
स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 738 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 119 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2722.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 41 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGNNATH GIRIDHAR KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522
भुखंड क्र. : 41
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 408.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 54.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 109.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 54.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 54.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 136.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 41.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 856.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 109.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 123.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14008 | 979.00 | 14987.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 739 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 120 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6694.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 42 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KUM. MANGLA JAGNNATH KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 42

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 1004.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 335.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2109.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 402.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 435.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 36148 | 2544.00 | 38692.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 740 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 121 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6694.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 43 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANGALA JAGNNATH KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 43

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1004.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 335.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2109.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 402.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 435.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 36148 | 2544.00 | 38692.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 741 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 122 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7623.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 44 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANGALA JAGNNATH KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 44

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 1143.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 152.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 305.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 152.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 152.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 381.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 114.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2399.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 38.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 457.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 495.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 31135 | 2894.00 | 34029.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 742 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 123 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6773.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 45 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANGALA JAGNNATH KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 45

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1016.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 135.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 271.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 135.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 135.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 339.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 102.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2133.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 406.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 440.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7166 | 2573.00 | 9739.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 743 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 124 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6773.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 46 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGNNATH GIRIDHAR KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 46

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1016.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 135.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 271.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 135.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 135.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 339.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 102.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2133.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 406.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 440.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5697 | 2573.00 | 8270.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 744 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 125 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6773.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 47 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGNNATH GIRIDHAR KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 47

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1016.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 135.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 271.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 135.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 135.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 339.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 102.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2133.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 406.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 440.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 30661 | 2573.00 | 33234.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 745 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 126 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6773.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 48 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGNNATH GIRIDHAR KHADKE
(KAILAS SONAWANE)

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 48

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1016.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 135.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 271.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 135.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 135.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 339.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 102.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2133.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 406.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 440.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5416 | 2573.00 | 7989.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 746 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 127 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5985.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 49 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGNNATH GIRIDHAR KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 49

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 898.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 120.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 239.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 120.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 120.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 299.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 90.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1886.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 30.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 299.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 329.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 27765 | 2215.00 | 29980.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 747 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 128 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2892.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 29 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUSHAMA JAGNNATH KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 29

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 434.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 58.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 116.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 58.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 58.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 145.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 912.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 116.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 130.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14897 | 1042.00 | 15939.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील



स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.

| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 748 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 129 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2722.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 30 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUSHAMA JAGNNATH KHADKE
(HIRALAL ANANDA URF GANGARAM SONAWANE)

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 30

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 408.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 54.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 109.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 54.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 54.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 136.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 41.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 856.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 109.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 123.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6650 | 979.00 | 7629.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 749 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 130 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2722.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 31 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUSHAMA JAGNNATH KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 31

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 408.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 54.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 109.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 54.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 54.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 136.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 41.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 856.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 109.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 123.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6649 | 979.00 | 7628.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 750 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 131 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2835.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 32 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUSHAMA JAGNNATH KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 32

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 425.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 894.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 12127 | 1021.00 | 13148.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 751 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 132 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2835.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU RAJANI DIGAMBAR SONWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 33

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 425.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 894.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13530 | 1021.00 | 14551.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 752 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 133 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2835.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 34 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KUSUMBAI JAGNNATH KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 34

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 425.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 894.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15226 | 1021.00 | 16247.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 753 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 134 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2835.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 35 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGNNATH GIRIDHAR KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 35

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 425.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 894.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7152 | 1021.00 | 8173.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 754 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 135 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2835.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 36 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHALIGRAM ICHHARAM TAYDE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 36

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 425.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 894.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15226 | 1021.00 | 16247.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 755 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 136 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2835.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 37 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : YUVRAJ BABURAO SINGH

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 37

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 425.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 894.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15226 | 1021.00 | 16247.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 756 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 137 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2836.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 38 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : NAMDEV DASHINATH CHAUVHAN
SADASHIV LAXMAN PATIL
ASHOK NAMDEV SAINDANE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 38

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 425.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 894.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15226 | 1021.00 | 16247.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 757 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2495 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 968.31 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17&522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 19PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASUDEO PUNDLIK SONAWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 17&522

भुखंड क्र. : 19PAI

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 145.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 19.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 39.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 19.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 19.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 48.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 15.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 304.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 39.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 44.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5202 | 348.00 | 5550.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील
स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 758 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1855 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5147.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17/A+4 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 30,29 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASUDEO SHENPADU CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 17/A+4
भुखंड क्र. : 30,29
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 772.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 103.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 206.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 103.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 103.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 257.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 77.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1621.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 26.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 257.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 283.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 25036 | 1904.00 | 26940.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 759 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1445 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2117.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHANTABAI BALIRAM KOLI
MADHUKAR SHIVRAM TAYDE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 1

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 318.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 42.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 85.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 42.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 42.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 106.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 32.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 667.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 11.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 85.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 96.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11372 | 763.00 | 12135.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 760 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1446 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2066.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MINAKSHI JAGNNATH KHADKE
SAU. YASHODHABAI BALIRAM SAPKALE
VATSALABAI HITLAL BAVISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 2

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 310.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 41.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 83.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 41.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 41.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 103.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 31.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 650.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 83.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 93.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11089 | 743.00 | 11832.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 761 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1447 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2066.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : LAKSHUMAN RAMKRISHNA SONAWANE
BHAGVAN TRAMBAK SONAWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 3

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 310.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 41.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 83.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 41.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 41.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 103.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 31.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 650.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 83.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 93.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11094 | 743.00 | 11837.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 762 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1448 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2066.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MINAKSHI JAGNNATH KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 4

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 310.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 41.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 83.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 41.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 41.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 103.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 31.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 650.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 83.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 93.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7523 | 743.00 | 8266.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 763 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1449 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2066.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ASHOK RAMRAO MORE
PRAKASH DEVRAM SONAWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 5

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 310.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 41.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 83.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 41.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 41.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 103.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 31.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 650.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 83.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 93.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11094 | 743.00 | 11837.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 764 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1450 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2066.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH RAJARAM KOLI
SAU. SULOCHANA RAMDAS SONAR
SHOBHABAI BAP RAMDAS SONAR

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 6

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 310.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 41.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 83.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 41.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 41.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 103.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 31.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 650.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 83.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 93.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10602 | 743.00 | 11345.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 765 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1451 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2066.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KADU BALIRAM SAPKALE
ARUN BUDHO SONAWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 7

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 310.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 41.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 83.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 41.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 41.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 103.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 31.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 650.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 83.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 93.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11094 | 743.00 | 11837.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 766 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1452 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2822.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MINAKSHI JAGANNATH KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 8

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 423.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 56.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 56.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 56.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 141.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 42.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 887.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13358 | 1014.00 | 14372.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 767 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1453 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJESHRI MANOHARRAO MARVAD

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 9

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9218 | 698.00 | 9916.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 768 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1454 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANJAY RAMDAS BIRARI

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 10

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9525 | 698.00 | 10223.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 769 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1455 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANKARANABAI PANDIT MORE
PANDIT NATTHU MORE
MOHAN SUKLAL WANI

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 11

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10601 | 698.00 | 11299.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 770 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1456 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : DHANSING TRAMBAK SONAWANE
VISHNU CHAVDAS BHANGALE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 12

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10755 | 698.00 | 11453.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 771 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1457 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ATUL BHASKAR SURYAVANSHI
CHANDRAKANT BHASKAR SURYAVANSHI

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 13

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9787 | 698.00 | 10485.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 772 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1458 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 14 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGNNATH GABHIR SONAWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 14

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8002 | 698.00 | 8700.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 773 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1459 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ANITABAI JAYANT CHANGRE
SAU. REKHA VIJAY MEHATA
DIGAMBAR DASHRTH SONWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 15

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10402 | 698.00 | 11100.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 774 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1460 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : NARAYAN RAMKRISHANA SONWANE
GUNTABAI MANGA KUMBHAR

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 16

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10415 | 698.00 | 11113.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 775 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1461 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHAGVAN SURAJAN SONWANE
RAJANIBAI BHIMRAO SAPKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 17

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9219 | 698.00 | 9917.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 776 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1462 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 18 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHARAT RAJDHAR KOLI
NARMADABAI SITARAM KOLI
GOKUL ABHIMAN KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522
भुखंड क्र. : 18
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10415 | 698.00 | 11113.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 777 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1463 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VISHAVNATH PUNDLIK SURYAVANSHI
VASUDEV PUNDLIK SONWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 19

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10402 | 698.00 | 11100.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 778 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1464 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 20 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ASHOK SITARAM INGLE
 PRAKASH SITARAM INGLE
 VIJAY SITARAM INGLE
 RAMESH SITARAM INGLE
 SANJAY SITARAM INGLE
 DINKAR SITARAM INGALE
 ASHABAI SITARAM INGLE
 SUBHADRABAI SITARAM INGLE
 सि.स.नं. / गट नं. : 17+522
 भुखंड क्र. : 20
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10402 | 698.00 | 11100.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 779 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1465 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1973.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUBHASH YASHWANT SONWANE
DINKAR LAXIMAN PATIL
BHAGVAN VAMAN KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 21

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 296.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 79.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 99.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 621.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 79.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 89.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10595 | 710.00 | 11305.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 780 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1466 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1890.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 22 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. PRAMILA SURESH CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 22

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 284.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 38.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 76.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 38.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 38.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 95.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 597.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 76.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 85.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10168 | 682.00 | 10850.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 781 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1467 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1890.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMCHANDRA BABURAO MALI

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 23

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 284.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 38.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 76.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 38.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 38.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 95.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 597.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 76.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 85.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10168 | 682.00 | 10850.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 782 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1468 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1890.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 24 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANJAY TUKARAM VARULE
RAMCHANDRA BABURAO MALI

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 24

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 284.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 38.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 76.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 38.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 38.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 95.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 597.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 76.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 85.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10168 | 682.00 | 10850.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 783 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1469 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1890.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 25 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : LAXIMAN GANPAT SALUNKE
PRABHAKAR RAMDAS TAYDE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 25

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 284.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 38.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 76.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 38.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 38.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 95.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 597.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 76.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 85.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10168 | 682.00 | 10850.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 784 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1470 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1890.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 26 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. MANDABAI PRAKASH SAPKALE
PRAKASH RAMDAS SAPKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 26

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 284.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 38.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 76.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 38.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 38.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 95.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 597.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 76.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 85.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10168 | 682.00 | 10850.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 785 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1471 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1890.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 27 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : NARAYAN SHAANKAR WANI

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 27

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 284.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 38.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 76.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 38.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 38.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 95.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 597.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 76.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 85.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10168 | 682.00 | 10850.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 786 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1472 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2032.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 28 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANJAY BHAGVAT KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 28

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 305.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 41.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 81.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 41.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 41.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 102.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 641.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 81.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 91.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10913 | 732.00 | 11645.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 787 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1473 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2892.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 29 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUSHAMA JAGNNATH KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 29

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 434.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 58.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 116.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 58.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 58.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 145.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 912.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 116.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 130.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15535 | 1042.00 | 16577.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 788 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1474 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2722.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 30 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUSHAMA JAGNNATH KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 30

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 408.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 54.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 109.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 54.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 54.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 136.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 41.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 856.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 109.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 123.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14616 | 979.00 | 15595.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 789 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1475 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2722.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 31 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUSHAMA JAGNNATH KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 31

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 408.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 54.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 109.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 54.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 54.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 136.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 41.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 856.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 109.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 123.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14616 | 979.00 | 15595.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 790 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1476 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2835.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 32 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUSHAMA JAGNNATH KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 32

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 425.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 894.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15225 | 1021.00 | 16246.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 791 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1477 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2835.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. RAJANI DIGAMBAR SONWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 33

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 425.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 894.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7105 | 1021.00 | 8126.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 792 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1478 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2835.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 34 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. KUSIMBAI JAGNNATH KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 34

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 425.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 894.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13147 | 1021.00 | 14168.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 793 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1479 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2835.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 35 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGNNATH GIRIDHAR KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 35

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 425.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 894.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15225 | 1021.00 | 16246.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 794 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1480 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2835.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 36 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHALIGRAM ICHHARAM TAYDE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 36

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 425.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 894.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 12585 | 1021.00 | 13606.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 795 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1481 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2835.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 37 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : YUVRAJ BABURAO RAYSINGE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 37

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 425.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 894.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15225 | 1021.00 | 16246.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 796 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1482 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2835.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 38 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : NAMDEV KASHINATH CHAVAN
SADASHIV LAXIMAN PATIL
ASHOK NAMDEV SAIGDANE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 38

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 425.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 894.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15225 | 1021.00 | 16246.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 797 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1483 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2835.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 39 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : BALIRAM CHAVDAS KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 39

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 425.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 894.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15225 | 1021.00 | 16246.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 798 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1484 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2835.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 40 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIKAS PAULAD KOLI
SHANTARAM NARAYAN TAYDE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 40

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 425.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 894.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15225 | 1021.00 | 16246.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 799 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1485 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2722.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 41 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGNNATH GIRIDHAR KHADKE
(SURASH BALIRAM SONAWANE)

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 41

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 408.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 54.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 109.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 54.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 54.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 136.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 41.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 856.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 109.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 123.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14616 | 979.00 | 15595.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 800 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1486 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6694.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 43 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANGALA JAGNNATH KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 43

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1004.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 335.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2109.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 402.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 435.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 33501 | 2544.00 | 36045.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 801 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1487 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7623.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 44 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANGALA JAGNNATH KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 44

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1143.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 152.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 305.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 152.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 152.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 381.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 114.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2399.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 38.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 457.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 495.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37721 | 2894.00 | 40615.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 802 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1488 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6773.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 45 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANGALA JAGNNATH KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 45

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1016.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 135.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 271.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 135.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 135.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 339.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 102.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2133.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 406.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 440.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 33827 | 2573.00 | 36400.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 803 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1489 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6773.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 46 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGNNATH GIRIDHAR KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 46

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1016.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 135.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 271.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 135.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 135.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 339.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 102.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2133.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 406.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 440.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38127 | 2573.00 | 40700.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील
स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 804 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1490 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6773.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 47 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGNNATH GIRIDHAR KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522
भुखंड क्र. : 47
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1016.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 135.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 271.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 135.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 135.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 339.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 102.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2133.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 406.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 440.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5025 | 2573.00 | 7598.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 805 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1491 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6773.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 48 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGNNATH GIRIDHAR KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 48

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1016.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 135.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 271.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 135.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 135.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 339.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 102.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2133.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 34.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 406.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 440.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38127 | 2573.00 | 40700.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील



स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.

| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 806 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1492 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5985.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 49 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGNNATH GIRIDHAR KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522
भुखंड क्र. : 49
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 898.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 120.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 239.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 120.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 120.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 299.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 90.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1886.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 30.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 299.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 329.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 32417 | 2215.00 | 34632.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासाला साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 807 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1706 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 968.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRAKANT BHASKAR SURYAVANSHI

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 13

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 145.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 19.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 39.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 19.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 19.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 48.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 15.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 304.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 39.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 44.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5194 | 348.00 | 5542.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 808 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1836 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6694.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 42 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANGAL JAGANNATH KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 42

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1004.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 134.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 268.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 134.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 335.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 100.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2109.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 33.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 402.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 435.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37701 | 2544.00 | 40245.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 809 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1837 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7875.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 43 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANGAL JAGANNATH KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 43

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1181.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 158.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 315.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 158.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 158.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 394.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 118.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2482.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 39.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 473.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 512.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11976 | 2994.00 | 14970.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 810 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1838 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7875.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 44 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANGAL JAGANNATH KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 44

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1181.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 158.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 315.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 158.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 158.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 394.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 118.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2482.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 39.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 473.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 512.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 43104 | 2994.00 | 46098.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 811 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1909 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1937.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANJAY RAMDAS BIRARI

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 10

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 611.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10402 | 698.00 | 11100.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 812 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1927 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1033.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SULOCHANA RAMDAS SONAR

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 6

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 155.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 21.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 41.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 21.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 21.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 52.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 15.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 326.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 41.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 46.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5551 | 372.00 | 5923.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासाला साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 813 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2125 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1033.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SULOCHANA RAMDAS SONAR

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 6

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 155.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 21.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 41.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 21.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 21.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 52.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 15.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 326.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 41.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 46.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5550 | 372.00 | 5922.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 814 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2455 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1033.20 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17+522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH RAJARAM KOLE

सि.स.नं. / गट नं. : 17+522

भुखंड क्र. : 6PAI

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 155.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 21.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 41.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 21.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 21.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 52.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 15.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 326.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 41.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 46.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5552 | 372.00 | 5924.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 815 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1792 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 968.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15 PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : D.D. SONAVANE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 15 PAI

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 145.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 19.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 39.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 19.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 19.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 48.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 15.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 304.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 39.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 44.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4582 | 348.00 | 4930.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 816 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2047 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 962.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ANITABAI JAYANT CHANGARE
SAU. REKHA VIJAY MEHATA

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 15

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 144.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 19.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 38.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 19.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 19.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 48.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 14.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 301.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 38.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 43.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2143 | 344.00 | 2487.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 817 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3058 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2117.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 17 & 522 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHANTABAI BALIRAM KOLI
MADHUKAR SHIVARAM TAYDE

सि.स.नं. / गट नं. : 17 & 522

भुखंड क्र. : 1

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 318.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 42.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 85.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 42.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 42.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 106.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 32.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 667.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 11.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 85.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 96.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 0 | 763.00 | 763.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 818 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2716 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1225.17 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KANTILAL HIRALAL SHIMPI

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 12/A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 387.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6894 | 442.00 | 7336.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 819 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2717 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1255.50 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHEVANTABAI NATTHU SONAWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 13/B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 188.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 50.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 63.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 395.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 50.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 56.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7054 | 451.00 | 7505.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 820 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2718 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1296.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 14/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUMANBAI SHANTARAM MAHAJAN
SAU. KUSUSM VASANT PANCHAL

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 14/A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 194.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 26.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 52.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 26.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 26.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 65.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 408.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 52.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 58.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7285 | 466.00 | 7751.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 821 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2719 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1336.50 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 14/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : UTTAM PRALHAD WANI
 GOPAL PRALHAD WANI
 SUSHILABAI PANDHARISETH WANI
 VATABAI VISHWANATH WANI
 SUMAN ROOPCHAND SHIMPI
 DILIP, RAJENDRA, RAVINDRA, KAILASH R. SHIMPI

सि.स.नं. / गट नं. : 20
 भुखंड क्र. : 14/B
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 200.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 53.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 67.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 421.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 53.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 60.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7500 | 481.00 | 7981.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 822 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2720 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1332.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : DAULAT BHAGWAN SALUNKE
SAU. KUSUMBAI UTTAMRAO INGALE
ARJOON SITARAM KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 15/A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 200.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 53.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 67.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 421.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 53.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 60.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7495 | 481.00 | 7976.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 823 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2721 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1197.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ARJUN SITARAM KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 15/B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 180.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 48.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 60.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 378.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 48.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 54.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6744 | 432.00 | 7176.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 824 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2722 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1215.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PANDHARI ONKAR YETHE

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 16/A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 182.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 382.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6847 | 437.00 | 7284.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 825 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2723 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1224.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : AMBADAS SONU KHALAKE
BABANRAO SONU KHALAKE
PARSHURAO SONU KHALAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 16/B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 384.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6881 | 439.00 | 7320.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 826 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2724 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1233.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RUKHAMABAI MANIK
JAYPRAKASH RAMDAS DABHAVAT

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 17/A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 185.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 62.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 389.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6935 | 444.00 | 7379.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 827 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2725 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1251.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUMANBAI RAMBHAU WANKHEDE
VASANT SHAMRAO MALI

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 17/B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 188.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 50.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 63.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 395.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 50.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 56.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7042 | 451.00 | 7493.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 828 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2726 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2100.96 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMCHANDRA BHAGWAN SONAWANE
YESHAWANT BHAGWAN SONAWANE
BHAGWAT ROOPCHAND MAHALE

सि.स.नं. / गट नं. : 20

भुखंड क्र. : 19

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 315.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 42.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 84.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 42.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 42.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 105.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 32.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 662.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 11.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 84.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 95.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11823 | 757.00 | 12580.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 829 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2727 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1296.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PARVATABAI EKNATH NIMBALKAR
MOTILAL FAKIRA RAJPUT
KASABAI RAMSINGH RAJPUT
KAMALABAI MADHUKAR WANKHEDE
KAILASH TANKU SONAR

सि.स.नं. / गट नं. : 20

भुखंड क्र. : 2/A

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 194.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 26.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 52.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 26.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 26.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 65.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 408.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 52.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 58.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7285 | 466.00 | 7751.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील
स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 830 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2728 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1152.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMESH KHANDU SONAR
REKHA DATTATRAY SONAR

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 2/B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 173.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 23.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 46.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 23.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 23.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 58.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 17.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 363.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 46.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 52.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6483 | 415.00 | 6898.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 831 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2729 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1224.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. RUKHAMABAI FAKIRA SONAWANE
ASHABAI DEVRAM BAVISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 20

भुखंड क्र. : 3/A

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 384.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6881 | 439.00 | 7320.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 832 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2730 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1224.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिलकत धारकाचे नांव : SAU. KOKILABAI JAGAN KOLI
PRAKASH DATTATRAY RANDIVE
PARSHURAM GANPAT PATHARWAT

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 3/B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 384.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6881 | 439.00 | 7320.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 833 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2731 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1224.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRABHAKAR NAMDEV MAHAJAN
KAMALABAI BAPNAMDEV MAHAJAN
GANPAT TUKAJI NEVE
SAU. SHALINIBAI GANPAT NEVE

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 4/A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 384.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6881 | 439.00 | 7320.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 834 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2732 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1224.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU.USHABAI BALKRUSHNA SHRIKHANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 4/B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 384.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6881 | 439.00 | 7320.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 835 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2733 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1224.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : POONA BABURAO BIRARI

सि.स.नं. / गट नं. : 20

भुखंड क्र. : 5/A

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 384.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6881 | 439.00 | 7320.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 836 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2734 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1224.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KAMAL DATTATRAY CHAVAN
SANJAY TUKARAM WARAKE
BAPU DAMU SONGIRE
ANIL POPAT LOHAR

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 5/B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 384.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6881 | 439.00 | 7320.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 837 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2735 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1890.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU SURYAMALA TULSIRAM NIKUMBH
SATYABHAMABAI MADHAVRAO SIMPI

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 6
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 284.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 38.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 76.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 38.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 38.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 95.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 597.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 76.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 85.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10645 | 682.00 | 11327.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील



स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.

| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 838 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2736 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1224.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHAKUNTALA TUKARAM BORASE

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 7/A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 384.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6881 | 439.00 | 7320.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 839 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2737 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1224.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : LAXMIBAI SUPADU MARATHE
SATILAL BALIRAM SONAWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 7/B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 384.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6881 | 439.00 | 7320.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 840 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2738 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1269.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH BHIKAJI SHIVDE
VASUDEV DANGALSONAWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 11/A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 190.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 51.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 63.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 398.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 51.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 57.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7137 | 455.00 | 7592.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 841 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2739 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1237.50 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHIKAN KASHINATH PATIL
PANDHARINATH KASHINATH PATIL
GOKUL KASHINATH PATIL
SUSHILABAI PADMAKAR KUMAWAT
JITENDRA RAGHUNATH KHEDADE

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 11/B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 186.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 50.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 62.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 392.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 50.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 56.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6986 | 448.00 | 7434.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 842 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2740 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1282.50 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MADHUKAR BHIKA DESALE
SANJAY NAMDEV WAGH
BABULAL RAMDAS PATIL
BAPU KAUTIK PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 12/A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 192.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 26.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 51.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 26.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 26.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 64.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 404.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 51.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 57.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7208 | 461.00 | 7669.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 843 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2741 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1327.50 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : NAMDEV SHIVRAM KUMBHAR
PANDIT RAMDAS PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 12/B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 199.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 53.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 66.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 419.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 53.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 60.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7470 | 479.00 | 7949.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 844 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 981 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1225.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KANTILAL HIRALAL SHIMPI

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 12A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 387.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6788 | 442.00 | 7230.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 845 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 982 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1256.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHEVANTABAI NATTHU SONAWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 13B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 188.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 50.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 63.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 395.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 50.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 56.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6854 | 451.00 | 7305.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 846 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 983 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1296.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 14A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUMANBAI SHANTARAM MAHAJAN
SAU. KUSUM VASANT PANCHAL

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 14A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 194.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 26.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 52.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 26.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 26.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 65.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 408.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 52.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 58.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7285 | 466.00 | 7751.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 847 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 984 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1337.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 14B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : UTTAM PRALHAD WANI
 GOPAL PRALHAD WANI
 SUSHILABAI PANDHARISHET WANI
 LATABAI VISHWANATH WANI
 SUMAN RUPCHAND SHIMPI
 DILIP, RAJENDRA, RAVINDRA, & KAILAS
 RUPCHAND SHIMPI

सि.स.नं. / गट नं. : 20

भुखंड क्र. : 14B

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 201.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 53.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 67.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 422.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 53.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 60.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7512 | 482.00 | 7994.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 848 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 985 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1333.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : DAULAT BHAGWAN SALUNKE
KUSUMBAI UTTAMRAO INGALE
DAULAT BHAGVAN SALUNKE

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 15A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 200.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 53.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 67.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 421.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 53.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 60.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7499 | 481.00 | 7980.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 849 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 986 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1197.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ARJUN SITARAM KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 15B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 180.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 48.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 60.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 378.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 48.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 54.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6744 | 432.00 | 7176.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 850 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 987 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1215.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PHANDHARI OKANKAR YETHE

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 16A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 182.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 382.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6841 | 437.00 | 7278.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 851 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 988 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1224.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : AMBADAS SONU KHADKE
BABANRAO SONU KHADKE
PARSHURAM SONU KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 16B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 384.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6875 | 439.00 | 7314.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 852 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 989 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1233.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RUKHAMABAI MANIK
JAYPRAKASH RAMDAS SABHAVAT

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 17A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 185.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 62.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 389.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6935 | 444.00 | 7379.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 853 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 990 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1251.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUMANBAI RAMBHAU WANKHEDE
VASANT SHAMRAO MALI

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 17B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 188.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 50.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 63.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 395.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 50.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 56.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7042 | 451.00 | 7493.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 854 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 991 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1507.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 18 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHANKAR WANA SAPKALE
SAU. MIRABAI NARAYAN KHONDE
RAVINDRA GANPAT NEVE
NIRMALA SUDHAKAR KUMAVAT

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 18
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 226.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 30.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 60.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 30.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 30.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 75.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 474.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 60.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 68.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8465 | 542.00 | 9007.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 855 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 992 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2011.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RANCHANDRA BHAGVAN SONWANE
YASHAVANT BHAGVAN SONAWANE
BHAGVAT RUPCHAND MAHALE

सि.स.नं. / गट नं. : 20

भुखंड क्र. : 19

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 302.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 40.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 80.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 40.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 40.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 101.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 633.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 80.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 90.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11302 | 723.00 | 12025.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 856 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1000 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1296.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PARVATABAI EKNATH NIMBALKAR
MOTILAL PHAKIRA RAJPUT
KASABAI RAMSINGH RAJPUT
KAMLABAI MADHUKAR WANKHEDE (MALI)
KAILAS TANKU SONAR

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 2A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 194.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 26.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 52.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 26.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 26.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 65.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 408.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 52.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 58.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7285 | 466.00 | 7751.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 857 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1001 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1152.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMESH KHANDU SONAR
REKHABAI DATTARAY SONAR

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 2B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 173.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 23.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 46.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 23.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 23.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 58.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 17.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 363.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 46.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6483 | 415.00 | 6898.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 858 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1002 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1224.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. RUKAHMABAI PHAKIRA SONWANE
SOBHABAI YADAV SAPKALE
ASHABAI DEVRAM BAVISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 3A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 384.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6881 | 439.00 | 7320.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 859 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1003 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1224.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KOLINABAI JAGAN KOLI
PRAKASH DATTATRAY RANDIVE
PARSHURAM GANPAT PATHARVAT

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 3B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 384.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6875 | 439.00 | 7314.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 860 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1004 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1224.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRABHAKAR NAMDEV MAHAJAN
PRABHAKAR NAMDEV MAHAJAN
KAMALABAI BAP NAMDEV MAHAJAN
GANPAT TUDHAJI NEVE
SAU. SHALINIBAI GANPAT NAEVE

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 4A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 384.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5070 | 439.00 | 5509.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 861 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1005 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1224.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : USHABAI BALKRISHNA SHRIKHANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 4B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 384.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6875 | 439.00 | 7314.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 862 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1006 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1224.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PUNA BABURAO BIRARI

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 5A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 384.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6875 | 439.00 | 7314.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 863 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1007 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1224.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KAMAL DATTATRAY CHAUVAN
SANJAY TUKARAM WARKE
BAPU DAMU SONGIRE
ANIL POPAT LOHAR

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 5B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 384.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6875 | 439.00 | 7314.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 864 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1008 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1893.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SURYAMALA TULSHIRAM NIKUMB
SATAYBHAMABAI MADHAVRAO SHIMPI

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 6
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 284.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 38.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 76.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 38.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 38.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 95.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 597.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 76.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 85.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10073 | 682.00 | 10755.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 865 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1009 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1224.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHAKUNTALA TUKARAM BORSE

सि.स.नं. / गट नं. : 20

भुखंड क्र. : 7A

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 384.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6875 | 439.00 | 7314.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 866 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1010 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1224.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : LAKSHMIBAI SUPDU MARATHE
SATILAL BALIRAM SONWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 7B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 184.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 49.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 61.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 384.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 49.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 55.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6875 | 439.00 | 7314.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 867 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1011 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2419.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : BALU SITARAM KOLI
EKANTH LALCHAND SHIMPI
SUNANDABAI EKANTH SHIMPI

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 8
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 363.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 48.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 97.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 48.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 48.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 121.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 36.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 761.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 12.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 97.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 109.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13611 | 870.00 | 14481.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 868 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1012 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2687.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANGALA RAVINDRA BAVISKAR
MUKUNDA TRAMBKRAO BAVISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 9
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 403.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 54.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 107.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 54.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 54.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 134.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 40.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 846.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 13.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 107.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 120.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9734 | 966.00 | 10700.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 869 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1013 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3505.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : NIRMALABAI SHANKAR BARI
SHINDHU BHAGVAT CHAUDHARI
RAMCHANDRA YABHARU KOLI
SUMANBAI MUKUNDA TAYDE
DWARKABAI VANA KOLI
ATAMARAM DHANSING KOLI
SHOHA ATMARAM KOLI
DEVKABAI LILADHAR SAPKALE
सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 10
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 526.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 70.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 140.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 70.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 70.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 175.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 53.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1104.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 175.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 193.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20170 | 1297.00 | 21467.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 870 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1014 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1269.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH BHIKAJI SHIVDE
VASUDEV DANGL SONWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 11A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 190.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 51.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 63.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 398.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 51.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 57.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7131 | 455.00 | 7586.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 871 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1015 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1238.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHIKAN KASINATH PATIL
PANDHARINATH KASHINATH PATIL
GOKUL KASHINATH PATIL
SHUSHILABAI PADMAKAR KUMAVAT
JITANDRA RAGHUNATH KHANDALE

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 11B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 186.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 50.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 62.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 392.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 50.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 56.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6983 | 448.00 | 7431.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 872 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1016 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1238.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MADHUKAR BHIKA DESLE
SANJAY NAMDEV WAGH
BABULAL RAMDAS PATIL
BAPU KAUTIK PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 12A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 186.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 50.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 62.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 392.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 50.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 56.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7156 | 448.00 | 7604.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 873 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1017 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1338.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12 B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : NAMDEV SHIVALAL KUMBHAR
PANDIT RAMDAS PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 20
भुखंड क्र. : 12 B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 201.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 54.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 67.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 423.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 54.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 61.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7493 | 484.00 | 7977.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 874 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1911 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1443.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 20 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ALKA RAGHUNATH CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 20
 भुखंड क्र. : 9
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 216.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 29.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 58.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 29.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 29.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 72.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 22.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 455.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 58.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 65.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6846 | 520.00 | 7366.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 875 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1493 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3752.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 21/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ANUSYA ABHIMAN SONWANE
GANESH PRABHAKAR PATIL
PRAKASH DATTU SURYAVANSHI
ANUSYA ABHIMAN SONWANE
GORKHA RAMA SHINDE
ANANDHA TOTARAM WAYKODE
SHKUNTALA RAMDAS PATIL
VIJUTAI APPA PATIL
सि.स.नं. / गट नं. : 21/2
भुखंड क्र. : 1
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 563.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 75.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 150.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 75.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 75.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 188.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 56.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1182.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 188.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 207.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20592 | 1389.00 | 21981.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 876 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1494 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3896.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 21/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RUPCHAND TUKARAM KHADKE
 NALINI PRAKASH KALE
 DNYANESHAVR TUKARAM KHADKE
 SUMANBAI MUKUNDA TAVDE
 CAHITRAO SADU BHALERAO
 SHIVAJI SAHEBRAO PATIL
 MANJULABAI RAMDAS SONAR
 TUKUDU KAUTIK VAGH
 सि.स.नं. / गट नं. : 21/2
 भुखंड क्र. : 2
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 584.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 78.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 156.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 78.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 78.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 195.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 58.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1227.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 195.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 214.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 1971 | 1441.00 | 3412.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 877 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1495 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3743.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 21/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RUPCHAND TUKARAM KHADKE
 SAU. NALINI PRAKASH KAVLE
 DNYANESHAVAR TUKARAM KHADKE
 CHITAMAN KHANDU SHIRU
 MANOJ AMBADAS MARATHE
 RAMCHANDRA PANDIT CHAVAN
 RJENDRA PUNDLIK TAVDE
 GANGUBAI GOPICHAND JADHAV
 सि.स.नं. / गट नं. : 21/2
 भुखंड क्र. : 3
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 561.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 75.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 150.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 75.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 75.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 187.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 56.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1179.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 187.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 206.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19483 | 1385.00 | 20868.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 878 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1496 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1575.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 21/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : LAXIMIBAI MADANBHAI RAJPUT
DATTATRAY JAGNNATH POTDAR
MOHANLAL JAGNNATH POTDAR
GANESH NARAYAN BHAVSAR
SHAYAM NARAYAN BHAVSAR

सि.स.नं. / गट नं. : 21/2
भुखंड क्र. : 4
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 236.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 32.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 63.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 32.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 32.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 79.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 24.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 498.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 63.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 71.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4405 | 569.00 | 4974.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 879 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1497 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1654.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 21/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMISH JAGNNATH HIVARKAR
VASANT BABURAO BIRARI

सि.स.नं. / गट नं. : 21/2
भुखंड क्र. : 5
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 248.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 66.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 83.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 521.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 66.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 74.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9299 | 595.00 | 9894.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 880 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1498 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1614.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 21/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KESHAV BHIVA MOHSHE

सि.स.नं. / गट नं. : 21/2
 भुखंड क्र. : 6
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 242.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 32.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 65.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 32.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 32.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 81.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 24.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 508.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 65.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 73.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9083 | 581.00 | 9664.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 881 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1499 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1536.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 21/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. CHANDRABHAGA SURESH SAPKALE
LILABAI VITTHAL PATIL
SURESH MAHUKAR SONAR

सि.स.नं. / गट नं. : 21/2
भुखंड क्र. : 7
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 230.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 31.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 61.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 31.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 31.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 77.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 484.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 61.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 69.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3336 | 553.00 | 3889.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिम महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 882 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1500 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1717.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 21/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KISHOR PITAMBAR SONAR
NARAYAN JAGGNATH MAHAJAN
DIVIDAS, ASHOK, KISHOR, PRIVAN, RAJESH
POPAT SAPKALE
SAU. SHOBHA ATMARAM GAYKVAD
HINDHUBAI POPT SAPKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 21/2

भुखंड क्र. : 8

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 258.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 34.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 69.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 34.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 34.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 86.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 26.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 541.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 69.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 78.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7677 | 619.00 | 8296.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 883 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1501 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1575.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 21/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KIRAN NARAYAN KHONDE
VIJAY NARAYAN KHONDE
DATTATRAY NARAYAN KHONDE
BHALCHANDRA KASHINATH RANE
SHANTARAM KASHINATH RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 21/2
भुखंड क्र. : 9
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 236.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 32.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 63.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 32.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 32.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 79.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 24.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 498.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 63.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 71.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4999 | 569.00 | 5568.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील
स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 884 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1502 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1654.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 21/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. JANABAI PRAMOD PATIL
SAU. VANDANA SUNIL SHIMPI

सि.स.नं. / गट नं. : 21/2
भुखंड क्र. : 10
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 248.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 66.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 83.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 521.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 66.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 74.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9074 | 595.00 | 9669.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 885 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1503 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1654.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 21/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : INDHUBAI RAGHUNATH PATIL
YUVRAJ PARBHAT PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 21/2
भुखंड क्र. : 11
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 248.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 66.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 83.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 521.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 66.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 74.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6688 | 595.00 | 7283.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 886 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2595 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1582.20 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 21/2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : LAXMIBAI MADANBHAI RAJPOOT
DATTATRAY JAGANNATH POTDAR
MOHANLAL JAGANNATH POTDAR
GANESH NARAYAN BHAVSAR
SHAM NARAYAN BHAVSAR

सि.स.नं. / गट नं. : 21/2
भुखंड क्र. : 4
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 237.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 32.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 63.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 32.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 32.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 79.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 24.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 499.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 63.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 71.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8904 | 570.00 | 9474.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 887 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1782 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 810.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 21/1 A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17 PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RUKHMABAI GIRIDHAR SAPKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 21/1 A
 भुखंड क्र. : 17 PAI
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 122.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 16.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 32.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 16.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 16.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 41.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 12.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 255.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 32.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 36.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3560 | 291.00 | 3851.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 888 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1969 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 749.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 21/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | .8/1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJIV LOTAN AHIRE

सि.स.नं. / गट नं. : 21/1A
 भुखंड क्र. : .8/1
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 112.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 15.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 30.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 15.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 15.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 37.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 11.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 235.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 30.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 34.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3550 | 269.00 | 3819.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 889 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2494 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1498.50 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 21/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ASHOK KASHINATH WANI

सि.स.नं. / गट नं. : 21/1A
 भुखंड क्र. : 9
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 225.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 30.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 60.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 30.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 30.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 75.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 22.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 472.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 60.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 67.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8431 | 539.00 | 8970.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 890 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2537 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1254.15 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 21/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KAMALBAI CHANDRAKANT MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 21/1A

भुखंड क्र. : 6

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 188.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 50.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 63.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 395.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 50.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 56.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7052 | 451.00 | 7503.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 891 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2545 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 810.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 21/1A |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RUKHMABAI GIRIDHAR SAPKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 21/1A
 भुखंड क्र. : 17PAI
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 122.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 16.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 32.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 16.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 16.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 41.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 12.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 255.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 32.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 36.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4547 | 291.00 | 4838.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 892 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1944 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4629.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 21 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 28 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANJAY BHOJRAJ CHAUDHARI
SURESH RAJARAM CHAUDHARI
NARENDRA RAJARAM CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 21
भुखंड क्र. : 28
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 694.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 93.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 185.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 93.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 93.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 231.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 69.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1458.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 23.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 231.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 254.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 26630 | 1712.00 | 28342.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 893 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2229 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 742.50 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 21/1 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ASHOK BABURAO JADE

सि.स.नं. / गट नं. : 21/1

भुखंड क्र. : 5

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 111.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 15.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 30.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 15.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 15.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 37.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 11.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 234.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 30.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 34.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 29818 | 268.00 | 30086.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 894 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2712 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1255.50 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 22 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JANKIRAM SUPADU SANANSE
VASANT WAMAN POL
JIJABAI JANARDAN SONWANE
LILADHAR RAMDAS
RAMDAS BHILA WARULKAR
TULABAI DINKAR BADGUJAR

सि.स.नं. / गट नं. : 22

भुखंड क्र. : 1/B

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 188.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 50.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 63.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 395.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 50.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 56.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7729 | 451.00 | 8180.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 895 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2713 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1255.50 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 22 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KASHINATH RAMBHAU WANKHEDE
SAU. MANGALA SURESH SONAR

सि.स.नं. / गट नं. : 22

भुखंड क्र. : 2/B

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 188.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 50.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 63.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 395.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 50.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 56.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8309 | 451.00 | 8760.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 896 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2714 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1620.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 22 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SU. MEERA VAJAYRAO KUMAWAT
SULOCHANDEVI KANHAILAL SHARMA
MANGALABAI RAJENDRA SONAR

सि.स.नं. / गट नं. : 22
भुखंड क्र. : 3/A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 243.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 32.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 65.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 32.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 32.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 81.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 24.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 509.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 65.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 73.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9116 | 582.00 | 9698.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 897 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2715 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1620.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 22 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJENDRA HARCHAND INGALE
INDUBAI BALIRAM VASANE
RAJENDRA BABAN SUTAR

सि.स.नं. / गट नं. : 22
भुखंड क्र. : 3/B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 243.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 32.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 65.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 32.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 32.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 81.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 24.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 509.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 65.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 73.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9116 | 582.00 | 9698.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 898 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 976 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1256.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 22 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JANKIRAM SUPDU SANANSE
VASANT WAM POL
JIJABAI JANARDHAN SONWANE
LILADHAR RAMDAS
RAMDAS BHILA WARULKAR
TULSABAI DINKAR BADGUJAR

सि.स.नं. / गट नं. : 22
भुखंड क्र. : 1B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 188.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 50.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 63.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 395.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 50.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 56.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7054 | 451.00 | 7505.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 899 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 977 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1256.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 22 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KASHINATH RAMBHAU WANKHEDE
SAU. MANGALA SURESH SONAR

सि.स.नं. / गट नं. : 22
भुखंड क्र. : 2A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 188.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 50.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 63.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 395.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 50.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 56.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5674 | 451.00 | 6125.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 900 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 978 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1256.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 22 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VATSALABAI BAP SHANKAR AMODKAR
LAITABAI SURESH SONWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 22
भुखंड क्र. : 2B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 188.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 50.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 63.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 395.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 50.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 56.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7054 | 451.00 | 7505.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 901 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 979 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1620.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 22 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. MIRA VIJAYRAO KUMAVAT
SULOCHANADIVI KANHAIYALAL SHARMA
MANGALABAI RAJENDRA SUTAR

सि.स.नं. / गट नं. : 22
भुखंड क्र. : 3A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 243.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 32.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 65.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 32.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 32.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 81.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 24.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 509.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 65.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 73.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9110 | 582.00 | 9692.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 902 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 980 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1620.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 22 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJENDRA HARCHAND PINGLE
INDUBAI BALIRAM VASANE
RAJENDRA VAMAN SUTAR

सि.स.नं. / गट नं. : 22
भुखंड क्र. : 3B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 243.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 32.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 65.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 32.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 32.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 81.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 24.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 509.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 65.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 73.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9110 | 582.00 | 9692.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 903 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1748 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1318.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 22 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIJAY MANOHARLAL SHETH

सि.स.नं. / गट नं. : 22
भुखंड क्र. : 5
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 198.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 26.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 53.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 26.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 26.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 66.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 415.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 53.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 60.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 35630 | 475.00 | 36105.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 904 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2603 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 461.25 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. VISHA NIVRUTTI KHACHANE

सि.स.नं. / गट नं. : 23
 भुखंड क्र. : 15
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 69.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 9.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 18.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 9.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 9.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 23.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 144.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 18.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 20.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2579 | 164.00 | 2743.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 905 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2604 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 461.25 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. VISHA NIVRUTTI KHACHANE

सि.स.नं. / गट नं. : 23

भुखंड क्र. : 16

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 69.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 9.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 18.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 9.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 9.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 23.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 144.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 18.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 20.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2579 | 164.00 | 2743.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 906 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2742 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1109.25 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 27/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMESH MADHUKAR BHANDARKAR
PRAKASH MADHUKAR BHANDARKAR
ASHABAI BAP SHANKAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 23
भुखंड क्र. : 27/A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 166.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 22.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 44.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 22.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 22.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 55.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 17.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 348.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 44.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 50.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6232 | 398.00 | 6630.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 907 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2743 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1294.29 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 27/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANTOSH KADU TAYDE
SAU. HIRABAI SANTOSH TAYDE

सि.स.नं. / गट नं. : 23
भुखंड क्र. : 27/B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 194.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 26.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 52.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 26.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 26.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 65.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 408.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 52.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 58.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7283 | 466.00 | 7749.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 908 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2744 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 532.08 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 34 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. YASHODA DHANA BAVISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 23

भुखंड क्र. : 34

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 80.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 11.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 21.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 11.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 11.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 27.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 8.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 169.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 21.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 24.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2996 | 193.00 | 3189.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 909 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 939 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1999.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH ANANDA NARKHEDE

सि.स.नं. / गट नं. : 23

भुखंड क्र. : 1

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 300.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 40.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 80.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 40.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 40.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 100.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 630.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 80.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 90.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9875 | 720.00 | 10595.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 910 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 940 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1689.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJU MANGA KUMBHAR
KASHINATH SAKHARAM HIVATKAR
RATAN MANGA KUMBHAR

सि.स.नं. / गट नं. : 23
भुखंड क्र. : 2
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 253.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 34.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 68.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 34.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 34.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 532.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 68.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 76.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9504 | 608.00 | 10112.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 911 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 941 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 809.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH ANANDA NARKHEDE
RAMDAS RAMCHANDRA SAPKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 23
भुखंड क्र. : 3
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 121.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 16.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 32.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 16.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 16.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 40.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 12.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 253.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 32.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 36.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4541 | 289.00 | 4830.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 912 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 942 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 506.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH ANANDA NARKHEDE

सि.स.नं. / गट नं. : 23
भुखंड क्र. : 4
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 76.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 20.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 25.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 8.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 159.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 20.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 23.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2839 | 182.00 | 3021.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 913 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 943 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 506.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. DURGABAI SITARAM MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 23

भुखंड क्र. : 5

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 76.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 20.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 25.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 8.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 159.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 20.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 23.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2839 | 182.00 | 3021.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 914 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 944 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 506.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. LATABAI PANDIT MALI

सि.स.नं. / गट नं. : 23

भुखंड क्र. : 7

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 76.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 20.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निर्गोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 25.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 8.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 159.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 20.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 23.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 1585 | 182.00 | 1767.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 915 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 945 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 759.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHAITRAM SADU BHALERAO

सि.स.नं. / गट नं. : 23
भुखंड क्र. : 8
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 114.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 15.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 30.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 15.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 15.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 38.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 11.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 238.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 30.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 34.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4268 | 272.00 | 4540.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 916 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 946 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1607.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : LATABAI SAMPATRAO MOTE

सि.स.नं. / गट नं. : 23

भुखंड क्र. : 9

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 241.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 32.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 64.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 32.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 32.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 80.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 24.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 505.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 64.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 72.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9026 | 577.00 | 9603.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 917 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 947 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1587.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH ANADA NARKHEDE

सि.स.नं. / गट नं. : 23

भुखंड क्र. : 10

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 238.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 32.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 63.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 32.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 32.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 79.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 24.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 500.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 63.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 71.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6982 | 571.00 | 7553.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील



स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.

| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 918 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 948 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 479.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH TRAMBAK HIVRALE

सि.स.नं. / गट नं. : 23
भुखंड क्र. : 11
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 72.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 24.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 152.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 1957 | 173.00 | 2130.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 919 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 949 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 466.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : BAPU EKNATH

सि.स.नं. / गट नं. : 23
भुखंड क्र. : 12
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 70.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 9.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 9.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 9.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 23.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 146.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2617 | 167.00 | 2784.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 920 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 950 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 466.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PARVATIBAI VISHAVANATH PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 23

भुखंड क्र. : 13

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 70.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 9.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 9.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 9.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 23.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 146.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 668 | 167.00 | 835.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 921 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 951 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 466.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 14 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU.NISHA NIVRUTI KHACHANE

सि.स.नं. / गट नं. : 23
 भुखंड क्र. : 14
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 70.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 9.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 9.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 9.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 23.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 146.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2047 | 167.00 | 2214.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 922 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 952 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 466.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU.NISHA NIVRUTI KHACHANE

सि.स.नं. / गट नं. : 23
भुखंड क्र. : 15
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 70.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 9.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 9.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 9.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 23.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 146.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 778 | 167.00 | 945.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 923 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 953 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 466.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU.NISHA NIVRUTI KHACHANE

सि.स.नं. / गट नं. : 23

भुखंड क्र. : 16

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 70.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 9.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 9.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 9.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 23.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 146.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2047 | 167.00 | 2214.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 924 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 954 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 569.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU.NISHA NIVRUTI KHACHANE

सि.स.नं. / गट नं. : 23
भुखंड क्र. : 17
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 85.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 11.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 11.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 11.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 28.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 178.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2270 | 204.00 | 2474.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 925 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 955 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 725.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 18 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : LILABAI RAMDAS CHAUHAN

सि.स.नं. / गट नं. : 23
 भुखंड क्र. : 18
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 109.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 15.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 29.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 15.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 15.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 36.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 11.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 230.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 29.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 33.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4084 | 263.00 | 4347.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 926 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 956 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 466.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH ANANDA NARKHEDE

सि.स.नं. / गट नं. : 23
भुखंड क्र. : 19
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 70.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 9.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 9.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 9.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 23.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 146.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 909 | 167.00 | 1076.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 927 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 957 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 466.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 20 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH ANANDA NARKHEDE

सि.स.नं. / गट नं. : 23
 भुखंड क्र. : 20
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 70.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 9.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 9.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 9.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 23.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 146.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2617 | 167.00 | 2784.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 928 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 958 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 466.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH ANANDA NARKHEDE

सि.स.नं. / गट नं. : 23
भुखंड क्र. : 21
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 70.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 9.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 9.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 9.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 23.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 146.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2617 | 167.00 | 2784.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 929 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 959 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 466.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 22 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : NIRMALABAI SUKHADEV VADNERE

सि.स.नं. / गट नं. : 23

भुखंड क्र. : 22

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 70.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 9.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 9.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 9.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 23.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 146.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2617 | 167.00 | 2784.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 930 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 960 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 466.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJANIBAI ARUN SONAR

सि.स.नं. / गट नं. : 23

भुखंड क्र. : 23

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 70.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 9.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 9.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 9.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 23.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 146.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2617 | 167.00 | 2784.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासाला साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 931 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 961 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 466.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 24 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MATHURABAI RAMESH SONAR

सि.स.नं. / गट नं. : 23
 भुखंड क्र. : 24
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 70.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 9.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 9.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 9.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 23.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 146.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2617 | 167.00 | 2784.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 932 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 962 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 466.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 25 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : DAMU GALU PATIL
PRAKASH BAPU VERULKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 23
भुखंड क्र. : 25
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 70.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 9.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 19.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 9.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 9.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 23.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 146.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 19.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2617 | 167.00 | 2784.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 933 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 963 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 492.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 26 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANDHAY VASUDEV ZAMBRE

सि.स.नं. / गट नं. : 23

भुखंड क्र. : 26

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 74.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 20.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 25.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 156.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 20.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 22.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2775 | 178.00 | 2953.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 934 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 964 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1109.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 27A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMESH MADHUKAR BHANDARKAR
PRAKASH MADHUKAR BHANDARKAR
ASHABAI BAP SHANKAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 23
भुखंड क्र. : 27A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 166.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 22.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 44.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 22.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 22.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 55.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 17.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 348.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 44.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 50.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4500 | 398.00 | 4898.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 935 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 965 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1321.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 27B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANTOSH KADU TAYDE
SAU. HIRABAI SANTOSH TAYDE

सि.स.नं. / गट नं. : 23
भुखंड क्र. : 27B
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 198.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 26.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 53.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 26.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 26.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 66.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 415.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 53.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 60.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7423 | 475.00 | 7898.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 936 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 966 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 636.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 28 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUNANDA GULAB PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 23
 भुखंड क्र. : 28
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 95.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 13.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 25.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 13.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 13.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 32.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 10.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 201.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 25.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 28.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3578 | 229.00 | 3807.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 937 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 967 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 613.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 29 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : GOPAL MOHAN KUMBHAR

सि.स.नं. / गट नं. : 23

भुखंड क्र. : 29

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 92.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 25.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 31.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 193.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 25.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 28.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3465 | 221.00 | 3686.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 938 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 968 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 674.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 30 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RUPABAI HARISHCHANDRA PARDESI

सि.स.नं. / गट नं. : 23

भुखंड क्र. : 30

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 101.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 13.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 27.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 13.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 13.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 34.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 10.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 211.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 27.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 30.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3296 | 241.00 | 3537.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 939 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 969 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 743.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 31 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH ANANDA NARKHEDE

सि.स.नं. / गट नं. : 23
 भुखंड क्र. : 31
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 111.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 15.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 30.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 15.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 15.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 37.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 11.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 234.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 30.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 34.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4191 | 268.00 | 4459.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 940 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 970 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 891.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 32 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : NITIN SUDHAKAR PARDESI
RAJESH SUDHAKAR PARDESI

सि.स.नं. / गट नं. : 23
भुखंड क्र. : 32
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 134.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 18.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 36.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 18.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 18.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 45.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 282.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 36.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 40.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5025 | 322.00 | 5347.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 941 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 971 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 581.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUNIL TANKU PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 23
भुखंड क्र. : 33
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 87.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 23.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 29.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 184.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 23.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 26.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3264 | 210.00 | 3474.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 942 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 972 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 622.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 34 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. YASHODA DHANA BAVISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 23

भुखंड क्र. : 34

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 93.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 25.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 31.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 194.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 25.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 28.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3498 | 222.00 | 3720.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 943 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 973 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 532.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 35 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : NIMBA KESHAV MARATHE

सि.स.नं. / गट नं. : 23

भुखंड क्र. : 35

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 80.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 11.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 21.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 11.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 11.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 27.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 8.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 169.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 21.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 24.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2997 | 193.00 | 3190.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 944 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 974 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 532.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 36 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANDHAY VASUDEV ZAMBRE

सि.स.नं. / गट नं. : 23

भुखंड क्र. : 36

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 80.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 11.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 21.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 11.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 11.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निर्गोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 27.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 8.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 169.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 21.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 24.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 1243 | 193.00 | 1436.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 945 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 975 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 629.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 23 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 37 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANDHAY VASUDEV ZAMBRE

सि.स.नं. / गट नं. : 23

भुखंड क्र. : 37

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 94.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 13.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 25.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 13.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 13.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 31.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 198.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 25.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 28.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3538 | 226.00 | 3764.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 946 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 841 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3105.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SATISH VASUDEV KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 1
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 466.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 62.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 124.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 62.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 62.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 155.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 47.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 978.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 155.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 171.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17871 | 1149.00 | 19020.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 947 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 842 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2559.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SATISH VASUDEV KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24

भुखंड क्र. : 2

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 384.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 51.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 102.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 51.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 51.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 128.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 38.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 805.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 13.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 102.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 115.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14381 | 920.00 | 15301.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 948 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 843 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2031.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SATISH VASUDEV KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
 भुखंड क्र. : 3
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 305.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 41.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 81.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 41.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 41.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 102.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 641.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 81.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 91.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8751 | 732.00 | 9483.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 949 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 844 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1598.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SATISH VASUDEV KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
 भुखंड क्र. : 4
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 240.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 32.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 64.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 32.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 32.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 80.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 24.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 504.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 64.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 72.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8994 | 576.00 | 9570.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 950 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 845 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1485.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ANIL KRISHNAJI SONTAKKE
RUKHAMABAI SURESH MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 5
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 223.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 30.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 59.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 30.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 30.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 74.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 22.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 468.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 59.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 66.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8346 | 534.00 | 8880.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 951 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 846 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1395.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUMANBAI DILIP PATIL
SANJIV HARI PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 6
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 209.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 28.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 56.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 28.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 28.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 70.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 440.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 56.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 63.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7844 | 503.00 | 8347.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 952 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 847 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1394.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : LILABAI VASUDEV KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24

भुखंड क्र. : 7

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 209.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 28.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 56.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 28.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 28.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 70.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 21.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 440.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 56.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 63.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5366 | 503.00 | 5869.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 953 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 848 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1485.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRABHAKAR MUKUNDA PATIL
SARAJABAI RAMDAS TAYDE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 8
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 223.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 30.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 59.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 30.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 30.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 74.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 22.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 468.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 59.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 66.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8345 | 534.00 | 8879.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 954 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 849 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1485.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SARUBAI LAXMAN INGLE

सि.स.नं. / गट नं. : 24

भुखंड क्र. : 9

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 223.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 30.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 59.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 30.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 30.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 74.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 22.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 468.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 59.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 66.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3983 | 534.00 | 4517.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 955 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 850 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1418.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : LILABAI VASUDEV KHADAKE
SULOCHANA DILIP WANKHEDE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 10
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 213.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 28.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 57.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 28.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 28.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 71.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 446.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 57.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 64.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6252 | 510.00 | 6762.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 956 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 851 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1418.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : LILABAI VASUDEV KHADAKE
USHA ANNA SALUNKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 11
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 213.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 28.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 57.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 28.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 28.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 71.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 21.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 446.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 57.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 64.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7982 | 510.00 | 8492.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 957 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 852 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1418.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SARLA MURLIDHAR SONAVANE
RAGHUNATH TRAMBAK SONAVANE
MANOHAR TULSHIRAM SONAVANE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 12
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 213.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 28.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 57.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 28.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 28.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 71.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 21.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 446.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 57.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 64.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7982 | 510.00 | 8492.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 958 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 853 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1418.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIKRAM JANARDAN PATIL
NAMDEV DODHU DEVRAJ

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 13
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 213.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 28.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 57.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 28.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 28.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 71.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 446.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 57.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 64.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7982 | 510.00 | 8492.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 959 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 854 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1418.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 14 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. LILABAI VASUDEV KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24

भुखंड क्र. : 14

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 213.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 28.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 57.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 28.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 28.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 71.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 446.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 57.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 64.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7982 | 510.00 | 8492.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 960 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 855 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2666.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : DASHRATH RABCHANDRA SHANKPAL

सि.स.नं. / गट नं. : 24

भुखंड क्र. : 15

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 400.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 53.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 107.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 53.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 53.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 133.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 40.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 839.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 13.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 107.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 120.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7439 | 959.00 | 8398.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 961 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 856 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1485.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANTOSH RAMDAS SONAVANE

सि.स.नं. / गट नं. : 24

भुखंड क्र. : 16

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 223.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 30.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 59.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 30.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 30.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 74.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 22.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 468.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 59.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 66.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8346 | 534.00 | 8880.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 962 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 857 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1553.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : BANABAI RAMDAS SHEVALE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 17
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 233.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 31.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 62.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 31.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 31.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 78.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 489.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 62.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 70.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8738 | 559.00 | 9297.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 963 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 858 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1553.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 18 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MATHURABAI KASHINATH KOLI
PARVATABAI JANARDAN KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 18
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 233.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 31.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 62.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 31.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 31.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 78.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 489.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 62.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 70.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5056 | 559.00 | 5615.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 964 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 859 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1553.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MURLIDHAR KHANDU SONAVANE
KISHOR BHILA PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 19
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 233.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 31.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 62.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 31.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 31.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 78.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 489.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 62.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 70.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5846 | 559.00 | 6405.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 965 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 860 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1553.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 20 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SURESH MOTIRAM SAINDANE
PRATIBHA RAJENDRA SAINDANE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 20
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 233.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 31.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 62.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 31.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 31.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 78.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 489.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 62.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 70.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7478 | 559.00 | 8037.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 966 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 861 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1553.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SURESH JIVRAM KOLI
CHAGAN CHINTAMAN BAVISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 21
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 233.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 31.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 62.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 31.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 31.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 78.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 489.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 62.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 70.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8738 | 559.00 | 9297.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 967 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 862 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1553.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 22 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : DYNESHVAR SAKHARAM BAVISKAR
PANDHRI KHANDU BAVISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 24

भुखंड क्र. : 22

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 233.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 31.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 62.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 31.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 31.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 78.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 489.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 62.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 70.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8738 | 559.00 | 9297.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 968 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 863 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1553.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : DHANSING SADASHIV BAVISKAR
KRISHNA PRABAHAKAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 23
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 233.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 31.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 62.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 31.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 31.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 78.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 489.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 62.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 70.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8738 | 559.00 | 9297.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 969 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 864 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1553.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 24 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : BEBI RAMKRISHNA SHEVALE
NIVRUTTI NAMDEV SONAVANE
JANAKABAI BHATU SONAVANE
VATSLABAI JAGANNATH NARKHEDE
JAYSING BABUSING RAJPUT

सि.स.नं. / गट नं. : 24

भुखंड क्र. : 24

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 233.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 31.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 62.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 31.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 31.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 78.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 489.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 62.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 70.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8738 | 559.00 | 9297.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 970 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 865 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1553.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 25 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANGLABAI BAP KISAN KALE
ASHABAI BAP SHRAVAN KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 25
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 233.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 31.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 62.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 31.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 31.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 78.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 489.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 62.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 70.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8048 | 559.00 | 8607.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 971 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 866 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1548.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 26 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SATISH VASUDEV KHADAKE
PRAVIN VASUDEV KHADAKE
LILABAI VASUDEV KHADAKE
RAJU SOMA SONAVANE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 26
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 232.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 31.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 62.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 31.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 31.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 77.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 487.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 62.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 70.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7572 | 557.00 | 8129.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 972 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 867 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1553.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 27 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VILAS GULABCHAND TIVARI
VISHRAM KASHIRAM PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 27
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 233.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 31.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 62.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 31.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 31.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 78.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 489.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 62.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 70.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8048 | 559.00 | 8607.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 973 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 868 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1553.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 28 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGDISH PRABHAKAR BHAUSKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 24

भुखंड क्र. : 28

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 233.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 31.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 62.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 31.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 31.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 78.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 489.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 62.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 70.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7358 | 559.00 | 7917.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 974 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 869 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1553.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 29 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : HARI ANANDA KOLI
SUNIL DASHRATH SAPKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 29
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 233.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 31.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 62.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 31.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 31.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 78.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 489.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 62.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 70.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8738 | 559.00 | 9297.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 975 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 870 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1553.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 30 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ARUN MURLIDHAR PATIL
SAU. VANDANA GOPICHAND SAPKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 30
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 233.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 31.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 62.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 31.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 31.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 78.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 489.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 62.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 70.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8738 | 559.00 | 9297.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 976 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 871 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1654.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 31 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PREMCHAND SUKA BHARHATE

सि.स.नं. / गट नं. : 24

भुखंड क्र. : 31

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 248.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 66.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 83.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 521.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 66.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 74.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3842 | 595.00 | 4437.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 977 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 872 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1418.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 32 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. NILAM SATISH KHADAKE
SUDAKAR YADAV SAPKALE
YSHODABAI AMBADAS BAVISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 32
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 213.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 28.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 57.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 28.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 28.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 71.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 446.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 57.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 64.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6881 | 510.00 | 7391.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 978 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 873 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 934.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 to 39/1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. NILAM SATISH KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 33 to 39/1
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 140.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 19.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 37.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 19.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 19.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 47.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 14.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 295.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 37.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 42.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5258 | 337.00 | 5595.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 979 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 874 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 895.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 to 39/1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. NILAM SATISH KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
 भुखंड क्र. : 33 to 39/1
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 134.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 18.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 36.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 18.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 18.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 45.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 282.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 36.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 40.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5032 | 322.00 | 5354.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 980 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 875 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 895.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 to 39/3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : DHANRAJ SITARAM SONAVANE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 33 to 39/3
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 134.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 18.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 36.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 18.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 18.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 45.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 282.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 36.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 40.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5032 | 322.00 | 5354.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 981 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 876 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 895.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 to 39/4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP MADHUKAR SONAVANE
GHANSHAM NATTHU WAGH

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 33 to 39/4
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 134.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 18.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 36.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 18.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 18.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 45.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 282.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 36.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 40.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5032 | 322.00 | 5354.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 982 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 877 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 895.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 to 39/5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : DIGAMBAR LAXMAN SONAVANE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 33 to 39/5
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 134.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 18.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 36.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 18.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 18.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 45.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 282.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 36.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 40.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2467 | 322.00 | 2789.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 983 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 878 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 895.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 to 39/6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAVINDRA RAJARAM MISTRI

सि.स.नं. / गट नं. : 24
 भुखंड क्र. : 33 to 39/6
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 134.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 18.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 36.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 18.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 18.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 45.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 282.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 36.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 40.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4137 | 322.00 | 4459.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 984 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 879 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 895.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 to 39/7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : HEMRAJ MADHAV SONAVANE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
 भुखंड क्र. : 33 to 39/7
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 134.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 18.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 36.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 18.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 18.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 45.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 282.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 36.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 40.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3580 | 322.00 | 3902.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 985 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 880 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 895.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 to 39/8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VATSLABAI VASANTRAO SAPKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
 भुखंड क्र. : 33 to 39/8
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 134.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 18.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 36.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 18.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 18.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 45.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 282.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 36.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 40.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4435 | 322.00 | 4757.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 986 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 881 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 895.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 to 39/9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ALKABAI BAPURAO MORE
KADUBA YADAV BADGUJAR

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 33 to 39/9
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 134.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 18.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 36.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 18.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 18.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 45.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 282.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 36.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 40.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5032 | 322.00 | 5354.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 987 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 882 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 895.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 to 39/10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP PUNDLIK THAKUR
SHASHIKALA RAMESH SONAVANE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 33 to 39/10
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 134.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 18.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 36.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 18.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 18.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 45.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 282.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 36.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 40.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4157 | 322.00 | 4479.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 988 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 883 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 934.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 to 39/11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : YMUNABAI RAMDAS BADGUJAR

सि.स.नं. / गट नं. : 24
 भुखंड क्र. : 33 to 39/11
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 140.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 19.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 37.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 19.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 19.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 47.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 14.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 295.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 37.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 42.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2624 | 337.00 | 2961.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 989 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 884 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 851.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 to 52/8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHILEJA PRAVIN KHADAKE
DEEPAK SURESH NAWALE'S A.P.K
SULOCHANA SURESH NAWALE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 33 to 52/8
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 128.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 17.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 34.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 17.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 17.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 43.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 269.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 34.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 38.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4790 | 307.00 | 5097.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 990 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 885 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 851.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 46 to 52/9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. RENUKA ASHOK SURWADE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 46 to 52/9
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 128.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 17.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 34.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 17.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 17.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 43.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 269.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 34.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 38.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4790 | 307.00 | 5097.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 991 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 886 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 851.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 46 to 52/10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : GAMADIN SHANKAR MAURYA
RAJENDRA SANTOSH SONAVANE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 46 to 52/10
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 128.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 17.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 34.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 17.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 17.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 43.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 269.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 34.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 38.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2970 | 307.00 | 3277.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 992 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 887 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 851.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 46 to 52/11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHILEJA PRAVIN KHADAKE
YUVRAJ BHADU AHIRE
MANGALABAI BHADU AHIRE
SAKHUBAI BHADU AHIRE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 46 to 52/11
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 128.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 17.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 34.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 17.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 17.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 43.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 269.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 34.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 38.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4100 | 307.00 | 4407.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 993 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 888 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1094.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 46 to 52/12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHILEJA PRAVIN KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 46 to 52/12
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 164.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 22.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 44.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 22.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 22.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 55.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 16.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 345.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 44.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 49.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6162 | 394.00 | 6556.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 994 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 889 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1451.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 40 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. NILAM SATISH KHADAKE
ARUN PUNDLIK KOLI
PRAKASH FAKIRA SONAVANE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 40
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 218.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 29.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 58.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 29.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 29.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 73.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 22.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 458.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 58.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 65.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8168 | 523.00 | 8691.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 995 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 890 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2829.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 41 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SATISH VASUDEV KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 41
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 424.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 141.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 42.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 891.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15906 | 1018.00 | 16924.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 996 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 891 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2784.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 42 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SATISH VASUDEV KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
 भुखंड क्र. : 42
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 418.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 56.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 111.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 56.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 56.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 139.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 42.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 878.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 111.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 125.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8855 | 1003.00 | 9858.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 997 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 892 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1454.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 43 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. NILAM SATISH KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 43
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 218.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 29.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 58.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 29.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 29.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 73.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 22.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 458.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 58.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 65.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6891 | 523.00 | 7414.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 998 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 893 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1350.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 44 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHILEJA PRAVIN KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
 भुखंड क्र. : 44
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 203.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 54.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 68.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 426.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 54.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 61.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7592 | 487.00 | 8079.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 999 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 894 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1721.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 45 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHILEJA PRAVIN KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 45
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 258.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 34.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 34.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 34.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 86.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 26.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 541.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 69.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 78.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9675 | 619.00 | 10294.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1000 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 895 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1202.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 46 to 52/1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHILEJA PRAVIN KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 46 to 52/1
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 180.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 24.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 48.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 24.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 24.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 60.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 18.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निर्गोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 378.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 48.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 54.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6756 | 432.00 | 7188.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1001 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 896 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 851.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 46 to 52/2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHILEJA PRAVIN KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
 भुखंड क्र. : 46 to 52/2
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 128.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 17.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 34.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 17.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 17.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 43.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 269.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 34.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 38.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4790 | 307.00 | 5097.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1002 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 897 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 851.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 46 to 52/3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHILEJA PRAVIN KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
 भुखंड क्र. : 46 to 52/3
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 128.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 17.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 34.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 17.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 17.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 43.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 269.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 34.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 38.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4790 | 307.00 | 5097.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1003 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 898 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 851.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 46 to 52/4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHILEJA PRAVIN KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
 भुखंड क्र. : 46 to 52/4
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 128.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 17.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 34.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 17.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 17.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 43.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 269.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 34.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 38.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4790 | 307.00 | 5097.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील
स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1004 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 899 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 851.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 46 to 52/5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHILEJA PRAVIN KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 46 to 52/5
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 128.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 17.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 34.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 17.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 17.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 43.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 269.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 34.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 38.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2606 | 307.00 | 2913.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1005 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 900 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 851.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 46 to 52/6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHILEJA PRAVIN KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
 भुखंड क्र. : 46 to 52/6
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 128.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 17.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 34.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 17.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 17.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 43.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 269.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 34.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 38.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4790 | 307.00 | 5097.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील



स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.

| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1006 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 901 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 851.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 46 to 52/7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHILEJA PRAVIN KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 46 to 52/7
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 128.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 17.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 34.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 17.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 17.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 43.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 269.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 34.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 38.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4790 | 307.00 | 5097.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1007 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 902 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1485.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 53 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHAGAN NAMDEV KOLI
PANDURANG ANANDA SONAVANE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 53
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 223.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 30.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 59.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 30.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 30.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 74.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 22.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 468.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 59.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 66.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8346 | 534.00 | 8880.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1008 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 903 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1485.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 54 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ASHOK HARI YEWLEKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 24

भुखंड क्र. : 54

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 223.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 30.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 59.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 30.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 30.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 74.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 22.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 468.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 59.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 66.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8346 | 534.00 | 8880.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1009 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 904 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1620.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 55 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PANDIT PANDURANG OLARI
PUNDLIK BABURAO THAKUR

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 55
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 243.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 32.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 65.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 32.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 32.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 81.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 24.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 509.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 65.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 73.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7920 | 582.00 | 8502.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1010 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 905 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1350.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 56 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SATISH VASUDEV KHADAKE
PRAVIN VASUDEV KHADAKE
SAU. NITA SUDHIR CHAUDHARI
SAU. LILABAI VASUDEV KHADAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 56
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 203.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 54.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 68.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 426.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 54.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 61.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7592 | 487.00 | 8079.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1011 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1689 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 895.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 TO 39 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SMT. VATSALABAI VASANTRAO SAPKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
 भुखंड क्र. : 33 TO 39
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 134.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 18.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 36.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 18.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 18.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 45.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 282.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 36.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 40.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5032 | 322.00 | 5354.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1012 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1894 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9293.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 TO 4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SATISH VASUDEO KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
 भुखंड क्र. : 1 TO 4
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1394.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 186.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 372.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 186.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 186.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 465.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 139.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2928.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 46.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 558.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 604.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 42405 | 3532.00 | 45937.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1013 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1895 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5613.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 41,42 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SATISH VASUDEO KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
 भुखंड क्र. : 41,42
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 842.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 112.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 225.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 112.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 112.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 281.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 84.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1768.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 28.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 281.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 309.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 27314 | 2077.00 | 29391.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1014 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1896 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3171.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 44,45 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHAILAJA PRAVIN KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
 भुखंड क्र. : 44,45
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 476.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 63.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 127.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 63.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 63.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 159.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 48.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 999.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 159.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 175.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14501 | 1174.00 | 15675.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1015 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1924 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 878.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 24 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRAKANT NATTUMAL MANDORA

सि.स.नं. / गट नं. : 24

भुखंड क्र. : 24

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 132.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 18.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 35.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 18.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 18.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 44.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 278.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 35.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 39.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4949 | 317.00 | 5266.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1016 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2049 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 776.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 27 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : DAMODHAR SHANKAR SULE

सि.स.नं. / गट नं. : 24

भुखंड क्र. : 27

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 116.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 16.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 31.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 16.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 16.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 39.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 12.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 246.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 31.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 35.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4378 | 281.00 | 4659.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1017 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2128 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 776.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 25 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ASHABAI SHRAVAN KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
 भुखंड क्र. : 25
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 116.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 16.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 31.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 16.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 16.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 39.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 12.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 246.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 31.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 35.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4378 | 281.00 | 4659.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1018 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2290 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 895.05 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 TO 39 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SRM.VATSALABAI VASANTRAO SAPKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
 भुखंड क्र. : 33 TO 39
 शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 134.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 18.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 36.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 18.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 18.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 45.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 282.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 36.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 40.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5032 | 322.00 | 5354.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1019 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2745 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1393.20 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : LILABAI VASUDEV KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24

भुखंड क्र. : 7

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 209.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 28.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 56.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 28.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 28.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 70.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 21.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 440.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 56.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 63.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7846 | 503.00 | 8349.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1020 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2746 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1552.50 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 26 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SATISH VASUDEV KHADKE
PRAVIN VASUDEV KHADKE
LILABAI VASUDEV KHADKE
RAJIV SOMA SONAWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 24

भुखंड क्र. : 26

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 233.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 31.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 62.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 31.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 31.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 78.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 489.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 62.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 70.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8735 | 559.00 | 9294.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1021 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2747 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1828.58 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 TO 39/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. NEELAM SATISH KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 33 TO 39/A
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 274.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 37.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 73.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 37.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 37.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 91.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 27.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 576.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 73.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 82.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10286 | 658.00 | 10944.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील
स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1022 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2748 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 933.75 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 33 TO 39/11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : YAMUNABAI RAMDAS BADGUJAR

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 33 TO 39/11
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 140.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 19.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 37.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 19.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 19.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 47.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 14.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 295.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 37.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 42.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5258 | 337.00 | 5595.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1023 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2749 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 850.50 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 46 TO 52/9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. RENUKA ASHOK SURWADE

सि.स.नं. / गट नं. : 24
भुखंड क्र. : 46 TO 52/9
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 128.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 17.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 34.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 17.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 17.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 43.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 269.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 34.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 38.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4786 | 307.00 | 5093.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1024 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1826 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1755.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 24/2B/1C |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUNANDA CHUDAMAN PATHAK

सि.स.नं. / गट नं. : 24/2B/1C

भुखंड क्र. : 23

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 263.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 35.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 70.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 35.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 35.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 88.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 26.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 552.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 70.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 79.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8302 | 631.00 | 8933.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1025 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2919 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2016.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 26 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SURESH TRAMBAK MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 26

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 302.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 40.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 81.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 40.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 40.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 101.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 634.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 81.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 91.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5891 | 725.00 | 6616.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1026 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2920 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2016.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 27 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANKARNABAI LAXMAN GARUDE
SHANKAR GANPAT LOKHANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2
भुखंड क्र. : 27
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 302.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 40.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 81.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 40.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 40.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 101.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 634.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 81.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 91.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10828 | 725.00 | 11553.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1027 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2921 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2016.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 28 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : EKANTH SITARAM BHOLE

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 28

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 302.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 40.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 81.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 40.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 40.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 101.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 634.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 81.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 91.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10828 | 725.00 | 11553.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1028 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2922 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2016.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 29 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VIKAS MOTIRAM BHOLE

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 29

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 302.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 40.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 81.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 40.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 40.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 101.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 634.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 81.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 91.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10828 | 725.00 | 11553.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1029 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2923 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2016.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 30 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PANDHARINATH BAJIRAO SONAWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 30

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 302.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 40.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 81.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 40.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 40.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 101.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 634.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 81.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 91.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10828 | 725.00 | 11553.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1030 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2924 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2016.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 31 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MADINA JANSHEKHA TADVI
BHASKAR SUKDEO MALI
VILAS BALIRAM KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2
भुखंड क्र. : 31
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 302.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 40.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 81.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 40.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 40.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 101.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 634.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 81.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 91.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8700 | 725.00 | 9425.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1031 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2925 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2016.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 32 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMDA TANKU TAYDE
MANGALA RAMESH PIMPARKAR
SWAPNIL RAMESH PIMPARKAR
GAYATRI RAMESH PIMPARKAR
BHAVAN RAMESH PIMPARKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 32

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 302.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 40.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 81.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 40.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 40.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 101.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 634.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 81.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 91.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8408 | 725.00 | 9133.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1032 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2926 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2520.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 34 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANGALA RAMESH PIMPARKAR
SWAPNIL RAMESHPIMPARKAR
GAYATRI RAMESH PIMPARKAR
BHAVAN RAMESH PIMPARKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 34

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 378.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 50.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 101.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 50.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 50.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 126.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 38.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 793.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 13.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 101.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 114.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13533 | 907.00 | 14440.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1033 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2927 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2424.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 35 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VINABEN SHANTILAL GANDHI

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 35

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 364.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 48.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 97.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 48.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 48.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 121.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 36.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 762.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 12.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 97.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 109.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13006 | 871.00 | 13877.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1034 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2928 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2010.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 36 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJENDRA RAVISKAND BAVISKAR
SANJAY RAVISKAND BAVISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 36

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 302.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 40.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 80.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 40.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 40.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 101.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 633.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 80.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 90.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10801 | 723.00 | 11524.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1035 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2929 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2010.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 37 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAGHUNATH GIRDHAR CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 37

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 302.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 40.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 80.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 40.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 40.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 101.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 633.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 80.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 90.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10790 | 723.00 | 11513.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1036 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2930 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2010.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 38 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VINABEN SHANTILAL GANDHI

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 38

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 302.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 40.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 80.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 40.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 40.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 101.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 633.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 80.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 90.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10790 | 723.00 | 11513.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1037 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2931 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2010.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 39 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VINABEN SHANTILAL GANDHI
CHINDHU FAKIRA GHULE

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 39

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 302.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 40.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 80.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 40.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 40.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 101.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 633.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 80.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 90.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6482 | 723.00 | 7205.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1038 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2932 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2010.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 40 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VINABEN SHANTIL GANDHI

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 40

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 302.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 40.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 80.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 40.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 40.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 101.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 633.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 80.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 90.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10790 | 723.00 | 11513.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1039 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2933 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2010.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 41 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SURESH BABLU SAPKALE
DILIP BABLU SAPKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2
भुखंड क्र. : 41
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 302.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 40.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 80.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 40.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 40.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 101.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 30.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 633.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 80.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 90.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10790 | 723.00 | 11513.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1040 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2934 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2256.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 42 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : NILESH DEVRAM KHANGAR

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 42

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 338.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 45.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 90.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 45.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 45.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 113.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 34.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 710.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 11.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 90.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 101.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10184 | 811.00 | 10995.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1041 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2935 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2716.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 43 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHAKUNTALA DAMODAR KHADKE
NALINI DAMODAR KHADKE
ANIL VISHVANATH MANDORE
(SAU. SHAKUNTALA BALKRUSHANA MAHESHWARI)

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2
भुखंड क्र. : 43
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 407.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 54.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 109.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 54.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 54.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 136.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 41.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 855.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 109.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 123.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 12227 | 978.00 | 13205.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1042 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2936 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2536.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 44 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRABHAKAR RAGHUNATH PATIL
DINKAR RAGHUNATH PATIL
KAILASCHANDRA HUSHARCHAND AGRAWAL

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2
भुखंड क्र. : 44
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 380.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 51.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 101.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 51.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 51.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 127.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 38.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 799.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 13.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 101.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 114.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11416 | 913.00 | 12329.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1043 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2937 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2542.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 45 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MOHAN RAMDAS

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 45

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 381.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 51.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 102.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 51.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 51.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 127.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 38.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 801.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 13.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 102.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 115.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13656 | 916.00 | 14572.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1044 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2938 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2646.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 46 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMPRAKASH NHAVI

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 46

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 397.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 53.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 106.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 53.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 53.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 132.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 40.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 834.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 13.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 106.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 119.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14219 | 953.00 | 15172.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1045 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2939 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2197.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 47 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAVALARAM KASHINATH INGALE

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 47

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 330.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 44.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 88.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 44.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 44.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 110.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 33.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 693.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 11.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 88.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 99.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 12806 | 792.00 | 13598.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1046 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2940 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2148.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 49 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRASHEKHAR RAMESH SHENDURNIKAR
SHRIKANT NARAYAN BHUSARI

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2
भुखंड क्र. : 49
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 322.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 43.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 86.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 43.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 43.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 107.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 32.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 676.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 11.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 86.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 97.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11536 | 773.00 | 12309.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1047 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2941 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3255.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 50 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KISHOR PUNDALIK KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 50

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 488.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 65.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 130.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 65.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 65.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 163.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 49.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1025.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 163.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 179.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17904 | 1204.00 | 19108.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1048 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2942 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2826.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 51 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : EKANTH SITARAM BHOLE

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 51

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 424.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 141.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 42.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 891.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15178 | 1018.00 | 16196.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1049 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2943 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2826.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 52 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMCHANDRA LAXMAN WAGHULDE

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 52

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 424.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 141.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 42.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 891.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15178 | 1018.00 | 16196.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1050 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2944 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2526.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 53 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMCHANDRA LAXMAN WAGHULDE

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 53

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 379.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 51.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 101.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 51.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 51.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 126.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 38.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 797.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 13.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 101.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 114.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14750 | 911.00 | 15661.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1051 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2945 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2457.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VITTHAL SUKHA CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 1

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 369.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 49.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 98.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 49.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 49.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 123.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 37.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 774.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 12.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 98.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 110.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13191 | 884.00 | 14075.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1052 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2946 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5694.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU.ALKA ANIL KOLI
SAU. PRABHAVATI RAMESH SAPKALE
SAU. NARABADABI VASUDEV KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2
भुखंड क्र. : 2
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 854.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 114.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 228.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 114.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 114.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 285.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 85.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1794.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 28.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 285.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 313.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 31320 | 2107.00 | 33427.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1053 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2947 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6028.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. NIRAMALA SURESH ATTARDE

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 3

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 904.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 121.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 241.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 121.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 121.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 301.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 90.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1899.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 30.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 362.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 392.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 33942 | 2291.00 | 36233.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1054 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2948 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6005.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMCHANDRA LAXMAN WAGHULE

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 4

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 901.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 120.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 240.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 120.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 120.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 300.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 90.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1891.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 30.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 360.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 390.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 33801 | 2281.00 | 36082.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1055 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2949 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5868.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. RATANABAI NANDKISHOR PAWAR
VASANT GANPAT KHARE
DILIP GANPAT KHARE

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 5

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 880.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 117.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 235.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 117.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 117.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 293.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 88.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1847.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 29.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 293.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 322.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 24566 | 2169.00 | 26735.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1056 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2950 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5736.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KAILASCHAND HUSHARCHAND JAIN AGRAWAL

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 6

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 860.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 115.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 229.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 115.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 115.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 287.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 86.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1807.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 29.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 287.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 316.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 31552 | 2123.00 | 33675.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1057 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2951 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5670.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU.MINAKSHI HASMUKHLAL GANDHI

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 7

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 851.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 113.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 227.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 113.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 113.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 284.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 85.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1786.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 28.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 284.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 312.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 31188 | 2098.00 | 33286.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील
स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1058 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2952 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5717.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. LATABAI RAGHUNATH INGALE

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2
भुखंड क्र. : 8
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 858.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 114.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 229.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 114.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 114.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 286.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 86.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1801.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 29.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 286.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 315.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 31449 | 2116.00 | 33565.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1059 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2953 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5812.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : NITINL BHASKAR NEMADE
GOKUL RAMKRISHANA PATIL
PRABAHAKAR RAMKRISHNA PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2
भुखंड क्र. : 9
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 872.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 116.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 232.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 116.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 116.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 291.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1830.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 29.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 291.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 320.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 31972 | 2150.00 | 34122.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील
स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1060 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2954 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5826.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : VINABEN SHANTILAL GANDHI

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2
भुखंड क्र. : 10
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 874.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 117.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 233.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 117.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 117.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 291.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 87.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1836.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 29.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 291.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 320.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 32046 | 2156.00 | 34202.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1061 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2955 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7158.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : DEVIDAS VITTHAL KOPI
INDRAYANI PANDHARINATH SONAVANE

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2
भुखंड क्र. : 11
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1074.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 143.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 286.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 143.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 143.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 358.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 107.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2254.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 429.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 465.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 40303 | 2719.00 | 43022.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1062 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2956 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3318.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHALINI SUDHAKAR BAGUL

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 12

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 498.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 66.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 133.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 66.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 66.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 166.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1045.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 166.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 183.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18250 | 1228.00 | 19478.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1063 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2957 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1940.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAMILA PANDURANG KOLI
SAU. SAMBAI MANGA SONAVANE

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2
भुखंड क्र. : 13
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 78.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 612.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 78.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 88.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10434 | 700.00 | 11134.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1064 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2958 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1940.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 14 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SKHARAM SHANKAR PATIL
MANGALA RAJESH PIMPARKAR
SWAPNIL RAJESH PIMPARKAR
GAYATRI RAJESH PIMPARKAR
BHAVANA RAJESH PIMPARKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 14

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 78.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 612.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 78.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 88.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10434 | 700.00 | 11134.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1065 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2959 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1940.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRALHAD RAGHUNATH KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 15

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 78.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 612.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 78.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 88.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10434 | 700.00 | 11134.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1066 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2960 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1940.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRALHAD RAGHUNATH KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 16

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 78.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 612.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 78.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 88.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10434 | 700.00 | 11134.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1067 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2961 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1940.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 17 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH DEVLAL KHANGAR

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 17

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 78.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 612.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 78.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 88.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10007 | 700.00 | 10707.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1068 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2962 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1940.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 18 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANJAY MADHUKAR SAPKALE
SAU. BHARTI VILAS KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2
भुखंड क्र. : 18
शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 78.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 612.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 78.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 88.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10434 | 700.00 | 11134.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1069 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2963 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1940.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KU. NALINI DAMODAR KHADKE
ASHOK BHAGWAN KHARE
(SHAKUNTALA DAMODAR KHADKE)

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 19

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 78.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 612.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 78.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 88.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3497 | 700.00 | 4197.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 1070 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2964 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1940.00 | शिवाराचे नांव : | JALGAON |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 01 | सि.स.नं. / गट नं. : | 26/1+2 |
| भाग क्रमांक : | 3 | भुखंड क्र. : | 20 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHAKUNTALA DAMODAR KHADKE

सि.स.नं. / गट नं. : 26/1+2

भुखंड क्र. : 20

शिवाराचे नांव : JALGAON

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 291.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 78.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 612.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 78.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 88.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10434 | 700.00 | 11134.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या